

# वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002

---

## धाराओं का क्रम

---

### धाराएं

#### अध्याय 1

#### प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

#### अध्याय 2

#### बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन का विनियमन

3. प्रतिभूतिकरण कंपनियों या पुनर्गठन कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण ।
4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण ।
5. वित्तीय आस्तियों में अधिकारों या हित का अर्जन ।
- 5क. कतिपय मामलों में लम्बित आवेदनों का किसी एक ऋण वसूली अधिकरण को अंतरण ।
6. बाध्यताधारी को सूचना और ऐसे बाध्यताधारी की बाध्यता का उन्मोचन ।
7. प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा प्राप्तियों या निधियों की स्थापना करके प्रतिभूति का पुरोद्धरण ।
8. प्रतिभूति रसीद के रजिस्ट्रीकरण से छूट ।
9. आस्ति पुनर्गठन के लिए उपाय ।
10. प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के अन्य कृत्य ।
11. विवादों का समाधान ।
12. रिजर्व बैंक की नीति-निर्धारण करने और निदेश जारी करने की शक्ति ।
- 12क. विवरण और जानकारी मांगने की रिजर्व बैंक की शक्ति ।

#### अध्याय 3

#### प्रतिभूति हित का प्रवर्तन

13. प्रतिभूति हित का प्रवर्तन ।
14. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिभूत लेनदार की प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लेने में सहायता करना ।
15. प्रबंध ग्रहण करने की रीति और उसका प्रभाव ।
16. पद की हानि के लिए निदेशकों को कोई प्रतिकर नहीं ।
17. अपील करने का अधिकार ।
- 17क. कतिपय मामलों में जिला न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन किया जाना ।
18. अपील अधिकरण को अपील ।
- 18क. उद्गृहीत फीस का विधिमान्यकरण ।
- 18ख. कतिपय मामलों में उच्च न्यायालय को अपील ।

### धाराएं

18ग. केवियट दाखिल करने का अधिकार ।

19. कतिपय मामलों में प्रतिकर और खर्चे प्राप्त करने के लिए उधार लेने वाले का अधिकार ।

### अध्याय 4

#### केन्द्रीय रजिस्ट्री

20. केन्द्रीय रजिस्ट्री ।

21. केन्द्रीय रजिस्ट्रार ।

22. प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हितों के संव्यवहारों का रजिस्टर ।

23. प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन और प्रतिभूति हित के सृजन के संव्यवहारों का फाइल किया जाना ।

24. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रतिभूति हित का उपांतरण ।

25. प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी या प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूति हित की तुष्टि की रिपोर्ट करना ।

26. प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित संव्यवहारों की विशिष्टियों का निरीक्षण करने का अधिकार ।

26क. रजिस्ट्रीकरण, उपांतरण और तुष्टि आदि के विषयों में केन्द्रीय सरकार द्वारा परिशोधन ।

### अध्याय 5

#### अपराध और शास्तियां

27. शास्तियां ।

28. रिजर्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए शास्तियां ।

29. अपराध ।

30. अपराधों का संज्ञान ।

### अध्याय 6

#### प्रकीर्ण

31. कतिपय मामलों में इस अधिनियम के उपबंधों का लागू न होना ।

31क. बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के किसी वर्ग या वर्गों को छूट देने की शक्ति ।

32. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

33. कंपनियों द्वारा अपराध ।

34. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का न होना ।

35. इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना ।

36. परिसीमा ।

37. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं ।

38. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

39. इस अधिनियम के कतिपय उपबंधों का केन्द्रीय रजिस्ट्री स्थापित हो जाने या स्थापित कराए जाने के पश्चात् लागू होना ।

40. कठिनाई दूर करने की शक्ति ।

41. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन ।

42. निरसन और व्यावृत्ति ।

अनुसूची ।

# वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 54)

[17 दिसंबर, 2002]

<sup>1</sup>[वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हितों के प्रवर्तन को विनियमित करने तथा संपत्ति अधिकारों पर सृजित प्रतिभूति हित के केन्द्रीय आंकड़ों का उपबंध करने तथा उससे संसक्त और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए  
अधिनियम]

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह 21 जून, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

**2. परिभाषाएं—**इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अपील अधिकरण” से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित ऋण वसूली अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) “आस्ति पुनर्गठन” से किसी <sup>2</sup>[आस्ति पुनर्गठन कंपनी] द्वारा किसी वित्तीय सहायता में, ऐसी वित्तीय सहायता की वसूली के प्रयोजन के लिए, किसी बैंक या वित्तीय संस्था के किसी अधिकार या हित का अर्जन अभिप्रेत है;

<sup>3</sup>[(खक) “आस्ति पुनर्गठन कंपनी” से ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है, जो आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूतिकरण या दोनों के कारबार को संचालित करने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन रिजर्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत हैं;]

(ग) “बैंक” से अभिप्रेत है,—

(i) कोई बैंककारी कंपनी; या

(ii) कोई तत्स्थानी नया बैंक; या

(iii) भारतीय स्टेट बैंक; या

(iv) कोई समनुषंगी बैंक; या

<sup>4</sup>[(ivक) बहुराज्य सहकारी बैंक; या]

(v) ऐसा अन्य बैंक, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करे;

(घ) “बैंककारी कंपनी” का वही अर्थ है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में उसका है;

<sup>1</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> 2013 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

(ड) “बोर्ड” से भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अभिप्रेत है;

(च) <sup>1</sup>“उधार लेने वाला” से ऐसा कोई व्यक्ति या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (घक) में यथा परिभाषित कोई सामूहिक विनिधान इकाई अभिप्रेत है। जिसे किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता अनुदत्त की गई है या जिसने किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा अनुदत्त वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रत्याभूति दी है या प्रतिभूति के रूप में किसी बंधक या गिरवी का सृजन किया है और <sup>2</sup>इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति या कोई सामूहिक विनिधान इकाई भी है। जो किसी [आस्ति पुनर्गठन कंपनी] का, ऐसी वित्तीय सहायता के संबंध में किसी बैंक या वित्तीय संस्था के अधिकारों और हितों का उसके द्वारा अर्जन किए जाने के फलस्वरूप उधार लेने वाला हो जाता है; <sup>3</sup>या जो ऋण प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से निधि जुटाता है;]

(छ) “केन्द्रीय रजिस्ट्री” से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित की गई या कार्रवाई की गई रजिस्ट्री अभिप्रेत है;

<sup>2</sup>[(छक) “कंपनी” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (20) में यथापरिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है;]

(ज) “तत्स्थानी नया बैंक” का वही अर्थ है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (घक) में उसका है;

<sup>1</sup>[(जक) “ऋण” का वही अर्थ होगा जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 2 के खंड (छ) में है और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) किराए या वित्तीय पट्टे या सशर्त विक्रय या किसी अन्य संविदा के अधीन दी गई किसी मूर्त आस्ति की क्रय कीमत का असदत्त भाग;

(ii) ऐसी किसी अमूर्त आस्ति पर कोई अधिकार, हक या हित या ऐसी अमूर्त आस्ति की अनुज्ञप्ति या समनुदेशन, जो ऐसी अमूर्त आस्ति की क्रय कीमत के किसी असदत्त भाग के संदाय की बाध्यता या किसी उधार लेने वाले को अमूर्त आस्ति के अर्जन या ऐसी आस्ति की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए उपगत बाध्यता या अन्यथा विस्तारित प्रत्यय को प्रतिभूत करता है;]

(झ) “ऋण वसूली अधिकरण” से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अधिकरण अभिप्रेत है;

<sup>1</sup>[(झक) “ऋण प्रतिभूतियां” से भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं;]

<sup>3</sup>[(ज) “व्यतिक्रम” से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं;]—

(i) किसी उधार लेने वाले द्वारा किसी प्रतिभूत लेनदार को संदेय किसी ऋण या किसी अन्य रकम का असंदाय जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूत लेनदार की लेखा बहियों में ऐसे उधार लेने वाले के खाते को गैर-निष्पादनीय आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है; या

(ii) ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में किसी उधार लेने वाले व्यक्ति द्वारा, डिबेंचर न्यासी या ऐसे किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जिसके पक्ष में ऐसी ऋण प्रतिभूतियों के धारक के फायदे के लिए प्रतिभूति हित का सृजन किया गया है, उधार लेने वाले व्यक्ति पर देयों के संदाय की मांग करने वाली नब्बे दिनों की सूचना के पश्चात् भी किसी ऋण या किसी अन्य संदेय रकम का असंदाय;]

(ट) “वित्तीय सहायता” से किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा अनुदत्त कोई उधार या अग्रिम या प्रतिश्रुत कोई डिबेंचर या बंधपत्र या दी गई कोई प्रत्याभूति या स्थापित प्रत्ययपत्र या दी गई कोई अन्य प्रत्यय सुविधा अभिप्रेत है <sup>1</sup>[जिसके अंतर्गत किसी मूर्त आस्ति को किराए या वित्तीय पट्टे या सशर्त विक्रय पर या किसी अन्य संविदा के अधीन अर्जन या किसी अमूर्त आस्ति के समनुदेशन या अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने या ऋण प्रतिभूतियों के प्रयोजन के क्रय के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां भी हैं।]

(ठ) “वित्तीय आस्ति” से ऋण या प्राप्त किए जाने योग्य शोध्य अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) किसी ऋण या प्राप्त किए जाने योग्य शोध्य या उसके किसी भाग का, चाहे प्रतिभूत हो या अप्रतिभूत, कोई दावा; या

(ii) कोई ऋण या प्राप्त किए जाने योग्य शोध्य जो स्थावर संपत्ति द्वारा प्रतिभूत, उसका बंधक या उस पर भार हो; या

(iii) जंगम संपत्ति का कोई बंधक, भार आडू-मान या गिरवी; या

<sup>1</sup> 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 162 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

(iv) प्रतिभूति में कोई अधिकार या हित, चाहे ऐसे ऋण या प्राप्त किए जाने योग्य शोध के अधीन संपूर्ण हो या उसके भागरूप हो; या

(v) संपत्ति में, चाहे जंगम हो या स्थावर या ऐसे ऋण, प्राप्त किए जाने योग्य शोध में कोई फायदाप्रद हित, चाहे ऐसा हित विद्यमान, भावी, प्रोद्भावी, सशर्त या समाश्रित हो; या

<sup>1</sup>[(vक) किराया या वित्तीय पट्टों या सशर्त विक्रय पर या किसी अन्य संविदा के अधीन दी गई किसी मूर्त आस्ति में कोई फायदाप्रद अधिकार, हक या हित जो ऐसी आस्ति की क्रय कीमत के किसी असदत्त भाग के संदाय की बाध्यता या ऐसी मूर्त आस्ति अर्जित करने के लिए उधार लेने वाले को समर्थ बनाने के लिए उपगत बाध्यता या अन्यथा उपलब्ध प्रत्यय को प्रतिभूत करते हैं; या

(vख) किसी अमूर्त आस्ति में कोई अधिकार, हक या हित या ऐसी अमूर्त आस्ति की अनुज्ञप्ति या समनुदेशन जो ऐसी अमूर्त आस्ति की क्रय-कीमत के किसी असदत्त भाग के संदाय की बाध्यता या ऐसी अमूर्त आस्ति अर्जित करने अथवा अमूर्त आस्ति की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए उधार लेने वाले को समर्थ बनाने के लिए उपगत किसी बाध्यता या अन्यथा विस्तारित प्रत्यय को प्रतिभूत करते हैं; या]

(vi) कोई वित्तीय सहायता;

(ड) “वित्तीय संस्था” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क के अर्थान्तर्गत कोई लोक वित्तीय संस्था;

(ii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 2 के खंड (ज) के उपखंड (ii) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई संस्था;

(iii) अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (प्रास्थिति, उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (1958 का 42) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम;

<sup>1</sup>[(iiiक) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत और प्रतिभूत ऋण प्रतिभूतियों के लिए नियुक्त; कोई डिबेंचर न्यासी;

(iiiख) आस्ति पुनर्गठन कंपनी चाहे वह इस हैसियत से कार्य कर रही है अथवा यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन के प्रयोजन के लिए सृजित किसी न्यास का प्रबंध कर रही है।]

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ के खंड (च) में यथापरिभाषित कोई अन्य संस्था या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वित्तीय संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

<sup>1</sup>[(डक) “वित्तीय पट्टा” से मूर्त आस्ति के परक्राम्य लिखत या परक्राम्य दस्तावेज से भिन्न किसी पट्टा करार के अधीन आवधिक रूप से सहमत हुई रकम के संदाय के प्रतिफल के रूप में कतिपय समय के लिए पट्टेदार को पट्टाकर्ता के अधिकार के अंतरण के लिए कोई पट्टा अभिप्रेत है और जहां पट्टेदार, यथास्थिति, पट्टे की अवधि की समाप्ति पर या सहमत हुई शेष रकम के संदाय पर ऐसी आस्ति का स्वामी हो जाता है;]

(ढ) “आडमान” से विद्यमान या भावी किसी जंगम संपत्ति में या उस पर कोई भार अभिप्रेत है जो किसी उधार लेने वाले के द्वारा किसी प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में ऐसे लेनदार को जंगम संपत्ति के कर्जे का परिदान किए बिना वित्तीय सहायता के लिए प्रतिभूति के रूप में सृजित किया गया हो और इसके अंतर्गत जंगम सम्पत्ति पर प्लवमान भार तथा ऐसे भार को निश्चित भार का रूप देना भी है;

<sup>1</sup>[(ढक) “परक्राम्य दस्तावेज” से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें मूर्त आस्ति के परिदानका अधिकार सन्निविष्ट होता है और जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परक्राम्यता के लिए अपेक्षाओं की, जिसके अंतर्गत कोई भांडागार रसीद और कोई वहन पत्र भी है, पूर्ति करता है;]

(ण) “गैर-निष्पादनीय आस्तियों” से किसी उधार लेने वाले की ऐसी आस्ति या खाता अभिप्रेत है, <sup>2</sup>[जो किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा अवमानक, शंकास्पद या नष्ट आस्ति के रूप में है,—

(क) यदि ऐसा बैंक या वित्तीय संस्था तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त किसी प्राधिकरण या निकाय द्वारा प्रशासित या विनियमित की जाती है तो ऐसे प्राधिकरण या निकाय द्वारा जारी किए गए आस्तियों के वर्गीकरण से संबंधित निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार,

(ख) किसी अन्य दशा में, रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार या मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार,

वर्गीकृत किया गया है;]

<sup>1</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(त) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(थ) “बाध्यताधारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रारंभकर्ता के प्रति, चाहे किसी संविदा के अधीन या अन्यथा, विद्यमान या भावी, सशर्त या समाश्रित किसी वित्तीय आस्ति के संदाय के लिए या किसी वित्तीय आस्ति की बाबत किसी बाध्यता के उन्मोचन के लिए दायी है और इसके अन्तर्गत उधार लेने वाला भी है;

(द) “प्रारंभकर्ता” से ऐसी वित्तीय आस्ति का स्वामी अभिप्रेत है, जो प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन के प्रयोजन के लिए किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा अर्जित की गई है;

(ध) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(न) “संपत्ति” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) स्थावर संपत्ति;

(ii) जंगम संपत्ति;

(iii) कोई ऋण या धन का चाहे प्रतिभूत हो, या अप्रतिभूत संदाय प्राप्त करने का कोई अधिकार;

(iv) प्राप्त किए जाने योग्य शोध, चाहे विद्यमान हो, या भावी;

(v) अमूर्त आस्तियां, व्यवहार-ज्ञान पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्ति, मताधिकार या इसी प्रकृति का कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार <sup>1</sup>[जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से विहित किया जाए ];

(प) “अर्हक संस्थागत क्रेता” से कोई वित्तीय संस्था, बीमा कंपनी, बैंक, राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, <sup>2</sup>न्यासी या प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी, जिसे धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है या पारस्परिक निधि की ओर से विनिधान करने वाली कोई आस्ति प्रबंध कंपनी] या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता <sup>3</sup>[गैर-संस्थागत विनिधानकर्ताओं का कोई प्रवर्ग, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए] या कोई अन्य निगम निकाय, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अभिप्रेत है ;

3\* \* \* \* \*

(ब) “कंपनी रजिस्ट्रार” से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खंड (40) में परिभाषित रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(भ) “रिजर्व बैंक” से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है;

(म) “स्कीम” से ऐसी प्रतिभूति रसीदों के लिए अभिदाय आमंत्रित करने की कोई स्कीम अभिप्रेत है जिनके उस स्कीम के अधीन प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा पुरोधृत किए जाने का प्रस्ताव है;

(य) “प्रतिभूतिकरण” से किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा किसी प्रारंभकर्ता से वित्तीय आस्तियों का अर्जन अभिप्रेत है चाहे ऐसा अर्जन ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा अर्हक संस्थागत क्रेताओं से ऐसी वित्तीय आस्तियों में अविभाजित हित का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिभूति रसीदों के प्रोद्धरण द्वारा या अन्यथा निधियां इकट्ठी करके किया गया हो ;

3\* \* \* \* \*

(यख) “प्रतिभूति करार” से कोई करार, लिखत या कोई अन्य दस्तावेज या इंतजाम अभिप्रेत है जिसके अधीन प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में प्रतिभूति हित का सृजन किया जाता है और इसके अन्तर्गत प्रतिभूत लेनदार के पास हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक का सृजन भी है ;

(यग) “प्रतिभूत आस्ति” से ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है जिस पर प्रतिभूति हित का सृजन किया जाता है ;

<sup>4</sup>[(यघ) “प्रतिभूत लेनदार” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,

(i) कोई बैंक या वित्तीय संस्था या बैंकों या वित्तीय संस्थाओं का कोई संघ या समूह, जो खंड (ठ) में यथाविनिर्दिष्ट किसी मूर्त आस्ति या अमूर्त आस्ति पर कोई अधिकार, हक या हित धारण करता है;

(ii) किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा नियुक्त कोई डिबेंचर न्यासी; या

<sup>1</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।

<sup>4</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(iii) कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी, चाहे वह इस हैसियत से कार्य कर रही हो या यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण या पुनर्गठन के लिए ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा स्थापित किसी न्यास का प्रबंध कर रही हो; या

<sup>1</sup>[(iv) किसी बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत और प्रतिभूत ऋण के लिए नियुक्त डिबेंचर न्यासी;] या

(v) किसी बैंक या वित्तीय संस्था की ओर से प्रतिभूतियों को धारण करने वाला कोई अन्य न्यासी,

जिसके पक्ष में किसी उधार लेने वाले द्वारा किसी वित्तीय सहायता के सम्यक् प्रतिसंदाय के लिए प्रतिभूति हित का सृजन किया गया है।]

(यड) “प्रतिभूत ऋण” से ऋण अभिप्रेत है जो किसी प्रतिभूति हित द्वारा प्रतिभूत है ;

<sup>2</sup>[(यच) “प्रतिभूति हित” से किसी संपत्ति पर किसी प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में सृजित धारा 31 में विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, हक या हित अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत,—

(i) किराए पर दी गई या वित्तीय पट्टा या सशर्त विक्रय या किसी अन्य संविदा के अधीन दी गई संपत्ति के स्वामी के रूप में प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिधारित मूल्य आस्ति पर कोई बंधक, भार, आडमान, समनुदेशन या किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, हक या हित जो आस्ति की क्रय कीमत के किसी असंदत्त भाग के संदाय की बाध्यता या मूल्य आस्ति के अर्जन के लिए उधार लेने वाले को समर्थ बनाने के लिए उपगत किसी बाध्यता या उपलब्ध प्रत्यय को प्रतिभूत करता है; या

(ii) किसी अमूर्त आस्ति में ऐसे अधिकार, हक या हित या ऐसी अमूर्त आस्ति का समनुदेशन या अनुज्ञप्ति जो अमूर्त की क्रय कीमत के किसी असंदत्त भाग के संदाय की बाध्यता या अमूर्त आस्ति के अर्जन या अमूर्त आस्ति की अनुज्ञप्ति के लिए उधार लेने वाले को समर्थ बनाने के लिए उपगत बाध्यता या उपलब्ध किसी प्रत्यय को प्रतिभूत करता है।]

(यछ) “प्रतिभूति रसीद” से कोई रसीद या अन्य प्रतिभूति अभिप्रेत है जो किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा किसी स्कीम के अनुसरण में प्रतिभूतिकरण में अंतर्बलित वित्तीय आस्ति में किसी अविभक्त अधिकार, हक या हित के, धारक द्वारा क्रय या अर्जन के साक्ष्यस्वरूप किसी अर्हक संस्थागत क्रेता को पुरोधृत की गई हो ;

(यज) “प्रायोजक” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी की समादत्त साधारण पूंजी का कम से कम दस प्रतिशत धारित कर रहा है ;

(यझ) “भारतीय स्टेट बैंक” से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक अभिप्रेत है;

(यञ) “समनुपंगी बैंक” का वही अर्थ है जो भारतीय स्टेट बैंक (समनुपंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 के खंड (ट) में उसका है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) या संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में उनके हैं।

## अध्याय 2

### बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन का विनियमन

**3. प्रतिभूतिकरण कंपनियों या पुनर्गठन कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण—**(1) कोई भी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी, प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन कारबार—

(क) इस धारा के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना ; और

<sup>3</sup>[(ख) दो करोड़ रुपए से अन्यून की स्वयं की निधि या ऐसी अन्य उच्चतर रकम जो रिजर्व बैंक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,]

प्रारंभ नहीं करेगी या नहीं चलाएगी :

परंतु रिजर्व बैंक, अधिसूचना द्वारा, प्रतिभूतिकरण कंपनियों या पुनर्गठन कंपनियों के विभिन्न वर्ग या वर्गों के लिए स्वयं की निधि की भिन्न-भिन्न रकमें विनिर्दिष्ट कर सकेगा :

परंतु यह और कि इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी ऐसे प्रारंभ से छह मास की समाप्ति के पूर्व रिजर्व बैंक को रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन करेगी और इस उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, उसे, यथास्थिति,

<sup>1</sup> 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 162 के प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने तक या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की नामंजूरी उसे संसूचित किए जाने तक प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन कारबार जारी रख सकेगी।

(2) प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी रजिस्ट्रीकरण के लिए रिजर्व बैंक को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, एक आवेदन करेगी।

(3) रिजर्व बैंक, किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के, यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन के कारबार को प्रारंभ करने या चलाने के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के अभिलेख या बहियों के निरीक्षण द्वारा या अन्यथा अपना यह समाधान करने की अपेक्षा कर सकेगी कि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी गई हैं, अर्थात् :—

(क) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी को पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में से किसी में हानि नहीं हुई है ;

(ख) ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी ने प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन के प्रयोजन के लिए अर्जित वित्तीय आस्तियों की वसूली के लिए पर्याप्त इंतजाम कर लिए हैं और वह अर्हित संस्थागत क्रेताओं या अन्य व्यक्तियों द्वारा कंपनी में किए गए विनिधानों पर उनकी शोध्य तारीखों पर कालिक वापसियों का संदाय करने में और मोचन करने में समर्थ होगी ;

(ग) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के निदेशक वित्त, प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन से संबंधित विषयों में पर्याप्त वृत्तिक अनुभव रखते हैं ;

1\* \* \* \* \*

(ङ) उसके निदेशकों में से कोई ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है ;

<sup>2</sup>[(च) आस्ति पुनर्गठन कंपनी का कोई प्रायोजक ऐसे मानदंडों के अनुसार कोई योग्य या उपयुक्त व्यक्ति है जो रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिए जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं:]

(छ) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी ने रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण सन्नियमों का अनुपालन किया है या उसका अनुपालन करने की स्थिति में है ;

<sup>3</sup>[(ज) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी ने उक्त प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों में विनिर्दिष्ट एक या अधिक शर्तों का अनुपालन किया है।]

(4) रिजर्व बैंक, इस बात का समाधान हो जाने पर कि उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी कर दी गई हैं, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन कारबार प्रारंभ करने या चलाने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा।

(5) रिजर्व बैंक उपधारा (2) के अधीन किए गए आवेदन को नामंजूर कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं की गई हैं :

परंतु आवेदन नामंजूर करने से पूर्व, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(6) प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी अपने प्रबंध मंडल में किसी सारवान् परिवर्तन के लिए <sup>4</sup>[जिसके अंतर्गत आस्ति पुनर्गठन कंपनी के निदेशक बोर्ड के किसी निदेशक या प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भी है] या उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के अवस्थान परिवर्तन के लिए या उसके नाम में परिवर्तन के लिए रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी :

परंतु रिजर्व बैंक का यह विनिश्चय, कि प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के प्रबंध मंडल में परिवर्तन उसके प्रबंध मंडल में एक सारवान् परिवर्तन है या नहीं, अंतिम होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “प्रबंध मंडल में सारवान् परिवर्तन” पद से शेषों के अंतरण द्वारा या <sup>4</sup>[शेषों के अंतरण के द्वारा कंपनी में प्रयोजन को प्रभावित करने वाला परिवर्तन] कंपनी के कारबार के समामेलन या अंतरण द्वारा प्रबंध मंडल में परिवर्तन अभिप्रेत है।

**4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण**—(1) रिजर्व बैंक किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा यदि ऐसी कंपनी,—

(क) प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन कारबार चलाना छोड़ देती है; या

(ख) किसी अर्हित संस्थागत क्रेता से कोई विनिधान प्राप्त करने या उसे धारण करने से प्रविरत हो जाती है; या

(ग) उन शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहती है जिनके अध्वधीन उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है ; या

<sup>1</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 5 द्वारा लोपित।

<sup>2</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।



(घ) किसी समय धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (छ) तक में निर्दिष्ट शर्तों में से किन्हीं को पूरा करने में असफल रहती है; या

(ङ) (i) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहती है; या

(ii) किसी विधि या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी निदेश या आदेश की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा रखने में असफल रहती है; या

(iii) अपनी लेखा बहियों या अन्य सुसंगत दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए, जब भी रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार मांग की गई हो, प्रस्तुत करने में या देने में असफल रहती है; या

(iv) धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन अपेक्षित, रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने में असफल रहती है :

परन्तु इस आधार पर कि प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी खंड (ग) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रही है या खंड (घ) या खंड (ङ) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल रही है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने से पूर्व रिजर्व बैंक, जब तक उसकी यह राय न हो कि धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने में विलंब से लोकहित या विनिधानकर्ताओं या प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ऐसी कंपनी को, ऐसे निबंधनों पर, जो रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करे, ऐसे उपबंधों के अनुपालन या ऐसी शर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अवसर देगा।

(2) [\*\*\*\* रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्दकरण के आदेश द्वारा व्यथित कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी उस तारीख से जिसको [रद्दकरण का ऐसा आदेश] उसे संसूचित किया जाता है, तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगी :

परन्तु अपील नामंजूर करने से पूर्व ऐसी कंपनी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(3) ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी, जो अर्हित संस्थागत क्रेताओं के विनिधान धारण कर रही है और जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने का आवेदन नामंजूर कर दिया गया है या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है, ऐसी नामंजूरी या रद्दकरण के होते हुए भी, जब तक कि वह उसके द्वारा धारित संपूर्ण विनिधान का (व्याज सहित, यदि कोई है) प्रतिसंदाय ऐसी अवधि के भीतर नहीं कर देती जैसा रिजर्व बैंक निदेश दे, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी समझी जाएगी।

**5. वित्तीय आस्तियों में अधिकारों या हित का अर्जन**—(1) किसी करार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी किसी बैंक या वित्तीय संस्था की वित्तीय आस्तियों निम्न प्रकार अर्जित कर सकेगी,—

(क) ऐसी कंपनी और बैंक या वित्तीय संस्था के बीच किए गए करार के प्रतिफल के लिए, उसमें ऐसे निबंधन और शर्तों को सम्मिलित करते हुए जो उनके बीच करार पाई जाएं, डिबेंचर या बांड या कोई अन्य प्रतिभूति, जो डिबेंचर की प्रकृति की हो, जारी करके; या

(ख) ऐसे बैंक या वित्तीय संस्था के साथ ऐसी वित्तीय आस्तियों के ऐसी कंपनी को अंतरण के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो उनके बीच करार पाई जाएं, कोई करार करके।

<sup>3</sup>[(1क) उपधारा (1) के अधीन किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी, जो आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूतिकरण के प्रयोजनों के लिए वित्तीय आस्तियों का अर्जन कर रही है, के पक्ष में निष्पादित किसी दस्तावेज को भारतीय स्टाप अधिनियम, 1899 (1899 का 52) की धारा 8च के उपबंधों के अनुसार स्टाप शुल्क से छूट प्राप्त होगी :

परन्तु इस उपधारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा वित्तीय आस्तियों का अर्जन पुनर्गठन या प्रतिभूतिकरण से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया है:]

(2) यदि बैंक या वित्तीय संस्था, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा उपधारा (1) के अधीन अर्जित किन्हीं वित्तीय आस्तियों की बाबत एक उधार देने वाले के रूप में है तो ऐसे अर्जन पर, ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी उधार देने वाली समझी जाएगी और ऐसे बैंक या वित्तीय संस्था के सभी अधिकार ऐसी वित्तीय आस्तियों के संबंध में ऐसी कंपनी में निहित हो जाएंगे।

<sup>3</sup>[(2क) यदि बैंक या वित्तीय संस्था, ऐसी आस्ति की क्रय-कीमत के किसी असंदत्त भाग के संदाय या उधार लेने वाले व्यक्ति को मूर्त आस्ति या अमूर्त आस्ति के समनुदेशन या अनुज्ञप्ति के अर्जन में समर्थ बनाने के लिए उपगत किसी बाध्यता या अन्यथा उपलब्ध प्रत्यय को प्रतिभूत करने के लिए किसी मूर्त आस्ति या अमूर्त आस्ति पर कोई अधिकार, हक या हित रखती है तो उपधारा (1) के अधीन ऐसी आस्तियों के अर्जन पर ऐसा अधिकार, हक या हित पुनर्गठन कंपनी में निहित होगा।]

(3) जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, किसी विधि के अधीन सभी संविदाएं, विलेख, बंधपत्र, करार, मुख्तारनामे, विधिक प्रतिनिधित्व के अनुदान, अनुज्ञाएं, अनुमोदन, सहमतियां, अनापत्तियां या अन्यथा और कोई अन्य लिखतें चाहे वे किसी भी प्रकृति की हों, जो उक्त वित्तीय आस्ति से संबंधित हैं और जो उपधारा (1) के अधीन वित्तीय आस्ति के अर्जन से ठीक पूर्व से अस्तित्व में हैं या प्रभाव रखती हैं तथा जिनमें संबद्ध बैंक या वित्तीय संस्था एक पक्षकार है या जो ऐसे बैंक या वित्तीय संस्था के पक्ष में हैं,

<sup>1</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 4 द्वारा लोप किया।

<sup>2</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

वित्तीय आस्तियों के अर्जन के पश्चात्, यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्ण रूप से प्रवृत्त और प्रभावी होंगी और उन्हें पूर्ण रूप से और प्रभावी रूप से प्रवृत्त किया जा सकेगा या उन पर ऐसे कार्रवाई की जा सकेगी मानो कि उक्त बैंक या वित्तीय संस्था के स्थान पर, यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी उसकी एक पक्षकार थी या वे, यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के पक्ष में जारी की गई थी।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन वित्तीय आस्ति के अर्जन की तारीख को उक्त वित्तीय आस्ति की बाबत बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही चाहे वे किसी भी प्रकृति की हों लंबित हैं, तो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 15 की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा वित्तीय आस्ति के अर्जन के कारण उसका उपशमन नहीं होगा, वह जारी रहेगी या किसी रीति में, प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगी किन्तु वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रह सकेगी, अभियोजित की जा सकेगी और प्रवृत्त की जा सकेगी।

[(5) उपधारा (1) के अधीन वित्तीय आस्तियों के अर्जन पर, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी, प्रारंभकर्ता की सहमति से, किसी लंबित वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियों में अपने नाम के प्रतिस्थापन के प्रयोजन के लिए ऋण वसूली अधिकरण या अपील अधिकरण या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगी और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर ऐसा ऋण वसूली अधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय या प्राधिकारी ऐसे लंबित वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियों में प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के प्रतिस्थापन के लिए आदेश पारित करेगा।]

**5क. कतिपय मामलों में लंबित आवेदनों का किसी एक ऋण वसूली अधिकरण का अंतरण—**(1) यदि किसी उधार लेने वाले की किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा अर्जित किसी वित्तीय आस्ति में एक से अधिक बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति ऋण सम्मिलित हैं, जिसकी वसूली के लिए ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थाओं ने दो या अधिक ऋण वसूली अधिकरणों के समक्ष आवेदन फाइल किए हैं, तो प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी उस अपील अधिकरण को, जिसकी ऐसे किसी अधिकरण पर अधिकारिता है जिसमें ऐसे आवेदन लंबित हैं, किसी एक ऋण वसूली अधिकरण को, जिसे वह ठीक समझे, सभी लंबित आवेदनों के अंतरण के लिए आवेदन फाइल कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन सभी लंबित आवेदनों के अंतरण के लिए ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, अपील अधिकरण, आवेदन के पक्षकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी एक ऋण वसूली अधिकरण को लंबित आवेदनों के अंतरण के लिए आदेश पारित कर सकेगा।

(3) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण द्वारा पारित किया गया कोई आदेश, उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी ऋण वसूली अधिकरणों पर उसी प्रकार बाध्यकर होगा, मानो ऐसा आदेश प्रत्येक ऐसे ऋण वसूली अधिकरण पर अधिकारिता रखने वाले अपील अधिकरण द्वारा पारित किया गया हो।

(4) उस ऋण वसूली अधिकरण द्वारा, जिसे उपधारा (2) के अधीन सभी लंबित आवेदन अंतरित किए गए हैं, जारी किया गया कोई ऋण वसूली प्रमाणपत्र, धारा 19 की उपधारा (23) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के उपबंध तदनुसार ऐसे विस्तारण को लागू होंगे।]

**6. बाध्यताधारी को सूचना और ऐसे बाध्यताधारी की बाध्यता का उन्मोचन—**(1) बैंक या वित्तीय संस्था, यदि वह समुचित समझती है, किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा वित्तीय आस्तियों के अर्जन की, संबद्ध बाध्यताधारी और किसी अन्य संबद्ध व्यक्ति को तथा ऐसे संबद्ध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को (जिसके अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार भी है) जिसकी अधिकारिता में वित्तीय आस्तियों पर सृजित बंधक, प्रभार, आड़-मान, समनुदेशन या अन्य हित रजिस्ट्रीकृत किया गया था, एक सूचना देगी।

(2) जहां किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा उपधारा (1) के अधीन वित्तीय आस्ति के अर्जन की कोई सूचना दी जाती है वहां बाध्यताधारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, संबद्ध प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी को संदाय करेगा और सूचना में विनिर्दिष्ट वित्तीय आस्ति के संबंध में किन्हीं बाध्यताओं में से किसी के उन्मोचन में ऐसी कंपनी को किया गया संदाय, संदाय करने वाले बाध्यताधारी को ऐसे संदाय के संबंध में सभी दायित्वों से पूर्ण रूप से उन्मोचित करेगा।

(3) जहां किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा उपधारा (1) के अधीन वित्तीय आस्ति के अर्जन की कोई सूचना नहीं दी जाती है वहां बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा तत्पश्चात् प्राप्त कोई धन या अन्य संपत्तियां, यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के लाभ के लिए और उसकी ओर से न्यास में धारित धन या संपत्तियां होंगी और ऐसी बैंक या वित्तीय संस्था ऐसे संदाय या संपत्ति को धारण करेगी जो तत्काल, यथास्थिति, ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके किसी अभिकर्ता को दे दिए जाएंगे या परिदत्त कर दी जाएंगी।

**7. प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा प्राप्तियों या निधियों की स्थापना करके प्रतिभूति का पुरोद्धरण—**(1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय आस्ति के अर्जन के पश्चात् उन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार अभिदाय के लिए अर्हित संस्थागत

<sup>1</sup> 2013 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

क्रेताओं को।<sup>1</sup> या विनिधानकर्ता का ऐसा अन्य कोई प्रवर्ग जिसके अंतर्गत ऐसे गैर-संस्थागत विनिधानकर्ता भी हैं, जो समय-समय पर बोर्ड के परामर्श से रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। प्रतिभूति रसीदों की प्रस्थापना कर सकेगी।

(2) कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी वित्तीय आस्तियों के अर्जन के लिए स्कीम बनाकर अर्हित संस्थागत क्रेताओं से निधियां जुटा सकेगी और किसी अर्हित संस्थागत क्रेता द्वारा किए गए विनिधानों में से अर्जित प्रत्येक वित्तीय आस्ति के लिए प्रत्येक ऐसी स्कीम की बाबत अलग और पृथक् लेखा रखेगी तथा उसका अनुरक्षण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी वित्तीय आस्ति की वसूलियां सुसंगत स्कीम के अधीन ऐसे विनिधानों के मोचन और आश्वासन, दी गई वापसियों के संदाय मद्धे धारित तथा उपयोजित की जाती हैं।

<sup>2</sup>[(2क) (क) उपधारा (1) के अधीन प्रतिभूति रसीदों की प्रस्थापना करने या उपधारा (2) के अधीन निधियां जुटाने के प्रयोजन के लिए स्कीम प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा प्रबंध किए जाने वाले न्यास के रूप में होगी और प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी इस प्रकार अर्जित की गई आस्तियों या आस्तियों के अर्जन के लिए इस प्रकार जुटाई गई निधियों को, प्रतिभूति रसीदों को धारण करने वाले अर्हक संस्थागत क्रेताओं के या जिनसे ऐसी निधियां जुटाई गई हैं, उनके फायदे के लिए न्यास में धारण करेगी।

(ख) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के उपबंध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हैं, उसके सिवाय, ऊपर खंड (क) में निर्दिष्ट न्यास के संबंध में लागू होंगे।]

(3) वित्तीय आस्तियों के उपधारा (2) के अधीन वसूल न किए जाने की दशा में, किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के अर्हित संस्थागत क्रेता, जिनके पास <sup>3</sup>[ऐसी कंपनी द्वारा किसी स्कीम के अधीन जारी की गई प्रतिभूति रसीदों] के कुल मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत से अन्यून की प्रतिभूति रसीदें हैं, सभी अर्हित संस्थागत क्रेताओं का अधिवेशन बुलाने के हकदार होंगे और ऐसे अधिवेशन में पारित प्रत्येक संकल्प कंपनी पर बाध्यकारी होगा।

(4) अर्हित संस्थागत क्रेता उपधारा (3) के अधीन बुलाए गए अधिवेशन में यथासंभव निकटतम वही प्रक्रिया अपनाएगा जिसका, यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में अनुसरण किया जाता है।

**8. प्रतिभूति रसीद के रजिस्ट्रीकरण से छूट—**(1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 17 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी कोई प्रतिभूति रसीद के लिए जो किसी स्थावर संपत्ति पर या उसमें कोई अधिकार, हक या हित का सृजन, घोषणा, समनुदेशन, परिसीमन या निर्वापन सिवाय वहां के, जहां उससे प्रतिभूति रसीद का धारक किसी रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा दिए गए किसी अविभक्त हित का हकदार बनता है, नहीं करती है; या

(ख) प्रतिभूति रसीदों के किसी अंतरण के लिए,

अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं होगा।

**4[9. आस्तियों के पुनर्गठन के लिए उपाय—**तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी उपबंध के अधीन रहते हुए, कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी, आस्ति पुनर्गठन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित एक या अधिक उपायों का उपबंध कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) उधार लेने वाले के कारबार के प्रबंध तंत्र में परिवर्तन या प्रबंध-ग्रहण द्वारा उधार लेने वाले के कारबार का उचित प्रबंध;

(ख) उधार लेने वाले के संपूर्ण कारबार या उसके भाग का विक्रय या पट्टा;

(ग) उधार लेने वाले द्वारा संदेय ऋणों के संदाय का समय परिवर्तन;

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति हित का प्रवर्तन;

(ङ) उधार लेने वाले द्वारा संदेय शोध्यों का परिनिर्धारण;

(च) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेना;

(छ) ऋण के किसी भाग का उधार लेने वाली किसी कंपनी के शेयरों में संपरिवर्तन :

परन्तु ऋण के किसी भाग के उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में संपरिवर्तन को सदैव से ऐसे विधिमन्य समझा जाएगा मानो के इस खंड के उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थे।

<sup>1</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) रिजर्व बैंक, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए नीति का अवधारण करेगा और आवश्यक निर्देश जारी करेगा जिसके अंतर्गत उधार लेने वाले कारबार के प्रबंध के विनियमन के लिए निदेश और प्रभारित की जाने वाली फीस भी है।

(3) आस्ति पुनर्गठन कंपनी उपधारा (2), के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित नीतियों और निदेशों के अनुसार उपधारा (1) के अधीन उपाय करेगी।]

**10. प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के अन्य कृत्य—**(1) धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी,—

(क) उधार लेने वाले से उनके शोध्यों की वसूली के प्रयोजनार्थ किसी बैंक या वित्तीय संस्था के लिए, पक्षकारों के बीच परस्पर तय की गई फीसों या प्रभारों के संदाय पर उनके अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकेगी ;

(ख) धारा 13 की उपधारा (4) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रबंधक के रूप में, पक्षकारों के बीच परस्पर तय की गई फीस पर कार्य कर सकेगी;

(ग) यदि किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा नियुक्त की जाए तो रिसीवर के रूप में कार्य कर सकेगी :

परंतु कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी, प्रबंधक के रूप में कार्य नहीं करेगी यदि उस रूप में कार्य करने से कोई धनीय दायित्व उद्भूत होता है।

(2) उपधारा (1) में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी, जिसे धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना, प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन से भिन्न कोई कारबार प्रारंभ नहीं करेगी या नहीं चलाएगी :

परंतु ऐसी कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन के कारबार से भिन्न कोई कारबार इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उससे पूर्व कर रही है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसा कारबार करना बंद कर देगी।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “प्रतिभूतिकरण कंपनी” या “पुनर्गठन कंपनी” में उसकी समनुषंगी कंपनी सम्मिलित नहीं है।

**11. विवादों का समाधान—**जहां किन्हीं पक्षकारों अर्थात् बैंक या वित्तीय संस्था या प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी या अर्हित संस्थागत क्रेता के बीच प्रतिभूतिकरण या पुनर्गठन या ब्याज सहित शोध्य किसी रकम के असंदाय के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है वहां ऐसा विवाद, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) में यथा उपबंधित सुलह या माध्यस्थम् द्वारा ऐसे तय किया जाएगा मानो विवाद के पक्षकारों ने लिखित में, ऐसे विवाद के सुलह या माध्यस्थम् द्वारा अवधारित किए जाने के लिए सहमति दी हो और उक्त अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

**12. रिजर्व बैंक की नीति-निर्धारण करने और निदेश जारी करने की शक्ति—**(1) यदि रिजर्व बैंक का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या देश की वित्तीय प्रणाली को उसके लिए लाभप्रद रूप में विनियमित करने या किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के कार्यकलाप को निवेशकों के हितों के लिए अपायकर रीति से या ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से संचालित करने से निवारित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह नीति निर्धारित कर सकेगी और सभी या किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी को आय मान्यता, लेखा मानकों, डूबंत और संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध करने, आस्तियों के लिए जोखिम पर आधारित पूंजी पर्याप्तता तथा, यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा निधियों के अभियोजन के संबंध में निदेश दे सकेगी तथा ऐसी कंपनी, इस प्रकार अवधारित नीति और जारी किए गए निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

(2) रिजर्व बैंक, उपधारा (1) के अधीन विनिहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी को साधारणतः या प्रतिभूतिकरण कंपनियों या पुनर्गठन कंपनियों के किसी वर्ग को अथवा किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी को विशेषतः, निम्नलिखित के संबंध में निदेश दे सकेगी :—

(क) बैंक या वित्तीय संस्था की वित्तीय आस्तियों की कौन सी किस्म अर्जित की जा सकेगी और ऐसी आस्तियों के अर्जन और उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया ;

(ख) वित्तीय आस्तियों का वह सकल मूल्य जो किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा अर्जित की जा सकेगी।

<sup>1</sup>[(ग) फीस और अन्य प्रभार जो किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा अर्जित वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए प्रभारित या उपगत किए जा सकेंगे;

(घ) अर्हक क्रेताओं को जारी प्रतिभूति प्राप्तियों का अंतरण।]

<sup>1</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>1</sup>[12क. विवरण और जानकारी मांगने की रिजर्व बैंक की शक्ति—(1) रिजर्व बैंक किसी भी समय किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी को, ऐसे समय के भीतर, जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उसे ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के कारबार से या कार्यों से संबंधित ऐसे विवरण और जानकारी (जिनके अंतर्गत ऐसा कोई कारबार या कार्य भी है, जिससे ऐसी कंपनी संबद्ध है) प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रिजर्व बैंक प्राप्त करना आवश्यक या समीचीन समझे।]

<sup>2</sup>[12ख. रिजर्व बैंक की, संपरीक्षा और निरीक्षण करने की शक्ति—(1) रिजर्व बैंक, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, समय-समय पर किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी की संपरीक्षा और निरीक्षण करेगा या कराएगा।

(2) किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी और इसके अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले संपरीक्षा या निरीक्षण में सहायता और सहयोग प्रदान करें।

(3) जहां रिजर्व बैंक का संपरीक्षा या निरीक्षण पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि आस्ति पुनर्गठन कंपनी का कारबार, लोक हित या ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों में विनिधानकजर्ताओं के हितों के लिए हानिकर रूप में संचालित हो रहा है, वहां रिजर्व बैंक किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए आदेश द्वारा—

(क) आस्ति पुनर्गठन कंपनी के अध्यक्ष या किसी निदेशक को हटा सकेगा या निदेशक बोर्ड में अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति कर सकेगा; या

(ख) अपने किसी अधिकारी को ऐसी पुनर्गठन कंपनी के निदेशक बोर्ड के कार्यकरण का संप्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु खंड (क) के अधीन अध्यक्ष या निदेशक को हटाने के लिए कोई आदेश उसे सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा।

(4) आस्ति पुनर्गठन कंपनी के प्रत्येक निदेशक या अन्य अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) के अधीन किसी संपरीक्षा या निरीक्षण करने वाले किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में के सभी ऐसी लेखा बहियां, लेखे और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करें और आस्ति पुनर्गठन कंपनी के मामलों से संबंधित ऐसे विवरण तथा जानकारी उपलब्ध कराए जो ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट नियत समय के भीतर अपेक्षित हो।]

### अध्याय 3

## प्रतिभूति हित का प्रवर्तन

**13. प्रतिभूति हित का प्रवर्तन—**(1) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 69 या धारा 69क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में मुजित कोई प्रतिभूति हित, ऐसे लेनदार द्वारा, न्यायालय या अधिकरण के मध्यक्षेप के बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रवृत्त किया जा सकेगा।

(2) जहां कोई उधार लेने वाला, जो किसी प्रतिभूति करार के अधीन किसी प्रतिभूति लेनदार के प्रति दायित्वाधीन है, प्रतिभूत ऋण या उसकी किसी किस्त के प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम करता है और उसके ऐसे ऋण से संबंधित लेखे को प्रतिभूत लेनदार द्वारा गैर निष्पादनीय आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तब प्रतिभूत लेनदार, लिखित सूचना देकर उधार लेने वाले से सूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिभूत लेनदार के प्रति उसके दायित्वों का पूर्णतया निर्वहन किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसके न होने पर प्रतिभूत लेनदार, उपधारा (4) के अधीन सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा।

<sup>3</sup>[परन्तु—

(i) इस उपधारा के अधीन गैर-निष्पादनीय आस्ति के रूप में प्रतिभूत ऋण के वर्गीकरण की अपेक्षा किसी ऐसे उधार लेने वाले को लागू नहीं होगी जिसने ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने निधि जुटाई है; और

(ii) व्यतिक्रम की दशा में, डिबेंचर न्यासी, डिबेंचर न्यासी के पक्ष में प्रतिभूति दस्तावेजों के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ऐसे उपांतरणों, जो आवश्यक समझे जाएं, के साथ इस धारा के अधीन यथा उपबंधित समान रीति में प्रतिभूति हित के प्रवर्तन का हकदार होगा।]

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना में उधार लेने वाले द्वारा संदेय रकम और उधार लेने वाले द्वारा प्रतिभूत ऋणों के असंदाय की दशा में प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रवर्तित किए जाने के लिए आशयित प्रतिभूत आस्तियों के व्यौरे होंगे।

<sup>4</sup>[(3क) यदि, उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, उधार लेने वाला कोई अभ्यावेदन करता है या कोई आक्षेप करता है तो प्रतिभूत लेनदार, उस अभ्यावेदन या आक्षेप पर विचार करेगा और यदि प्रतिभूत लेनदार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा अभ्यावेदन या

<sup>1</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित।

आक्षेप स्वीकार्य या मान्य नहीं है तो वह ऐसे अभ्योदन या आक्षेप की प्राप्ति के [पन्द्रह दिन के भीतर] अभ्यावेदन या आक्षेप को अस्वीकार करने के कारण उधार लेने वाले को संसूचित करेगा :

परंतु इस प्रकार संसूचित किए गए कारण या कारणों की संसूचना के प्रक्रम पर प्रतिभूत लेनदार की संभावित कार्रवाई उधार लेने वाले को धारा 17 के अधीन ऋण वसूली अधिकरण या धारा 17 के अधीन जिला न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।]

(4) यदि उधार लेने वाला, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने दायित्व का पूर्णतः निर्वहन करने में असफल रहता है तो प्रतिभूत लेनदार, अपने प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक उपाय कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) उधार लेने वाले की प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा लेना जिसके अंतर्गत प्रतिभूत आस्ति की वसूली के लिए पट्टे, समनुदेशन या विक्रय द्वारा अंतरण का अधिकार भी है;

<sup>2</sup>[(ख) उधार लेने वाले के कारबार का प्रबंध ग्रहण करना, जिसके अंतर्गत प्रतिभूत आस्ति की वसूली के लिए पट्टे, समनुदेशन या विक्रय द्वारा अंतरण का अधिकार भी है :

परंतु पट्टे, समनुदेशन या विक्रय द्वारा अंतरण के अधिकार का केवल वहीं प्रयोग किया जाएगा, जहां उधार लेने वाले के कारबार का महत्वपूर्ण भाग ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में धारित किया गया है :

परंतु यह और कि जहां संपूर्ण कारबार या कारबार के भाग का प्रबंधन पृथक्कीकरण है, वहां प्रतिभूत लेनदार, उधार लेने वाले के ऐसे कारबार का, जो ऋण के लिए प्रतिभूति से संबंधित है, प्रबंध-ग्रहण करेगा ;]

(ग) प्रतिभूत आस्तियों, जिसका कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा ग्रहण किया गया है, का प्रबंध करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना (इसे इसमें इसके पश्चात् प्रबंधक कहा गया है) ;

(घ) ऐसे किसी व्यक्ति, जिसने उधार लेने वाले से किन्हीं प्रतिभूत आस्तियों का अर्जन किया है और जिससे कोई धन शोध्य है या उधार लेने वाले को शोध्य हो सकता है, लिखित में सूचना द्वारा किसी भी समय उतने धन का प्रतिभूत लेनदार को संदाय किए जाने की अपेक्षा करना जो प्रतिभूत ऋण के संदाय के लिए पर्याप्त हो ।

(5) उपधारा (4) के खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूत लेनदार को किया गया कोई संदाय ऐसे व्यक्ति को विधिमान्य उन्मोचन देगा मानो उसने उधार लेने वाले को संदाय कर दिया हो ।

<sup>3</sup>[(5क) जहां ऐसी किसी स्थावर संपत्ति, जिसके लिए आरक्षित कीमत विनिर्दिष्ट की गई है, के विक्रय को उस आरक्षित कीमत से कम रकम की बोली होने के कारण मुल्यहीन किया गया है, वहां प्रतिभूत लेनदार के किसी अधिकारी के लिए, यदि उसे प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस निमित्त इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी पश्चात्कर्ती विक्रय में प्रतिभूत लेनदार की ओर से स्थावर संपत्ति के लिए बोली लगाए ।

(5ख) जहां उपधारा (5क) में निर्दिष्ट प्रतिभूत लेनदार को किसी पश्चात्कर्ती विक्रय में स्थावर संपत्ति का क्रेता होना घोषित किया जाता है, वहां क्रय कीमत की रकम का समायोजन प्रतिभूत लेनदार के दावे की उस रकम में मद्दे किया जाएगा जिसके लिए प्रतिभूत लेनदार द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूत हित के प्रवर्तन के लिए नीलामी की गई है ।

(5ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा के उपबंध, यथाशक्य, उपधारा (5क) के अधीन प्रतिभूत लेनदार द्वारा अर्जित स्थावर संपत्ति को लागू होंगे ।]

(6) प्रतिभूत लेनदार या प्रतिभूत लेनदार की ओर से प्रबंधक द्वारा, उपधारा (4) के अधीन कब्जा लेने या प्रबंध ग्रहण करने के पश्चात् प्रतिभूत आस्ति का कोई अंतरण अंतरिती में अंतरित प्रतिभूत आस्ति में या उसके संबंध में सभी अधिकार निहित कर देगा मानो वह अंतरण उसे प्रतिभूत आस्ति के स्वामी द्वारा किया गया था ।

(7) जहां उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन किसी उधार लेने वाले के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है, वहां ऐसी सभी खर्च, प्रभार और व्यय जो प्रतिभूत लेनदार की राय में उसके द्वारा उचित तौर पर उपगत किए गए हैं या उससे आनुषंगिक कोई व्यय, उधार लेने वाले से वसूलीय होंगे और वह धन जो प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसी तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, उसके द्वारा न्यास में धारण किया जाएगा जिसका उपयोगजन प्रथमतः ऐसे खर्चों, प्रभारों और व्ययों के संदाय में और द्वितीयतः प्रतिभूत लेनदार के शोध्यों के उन्मोचनमें किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त धन के अतिशेष का संदाय उसके हकदार व्यक्ति को, उसके अधिकारों और हितों के अनुसार किया जाएगा ।

<sup>1</sup> 2013 के अधिनियम सं० 1 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2013 के अधिनियम सं० 1 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1[(8) जहां प्रतिभूत लेनदान को शोध्य रकम, उसके द्वारा उपगत सभी लागत प्रभारों और व्ययों सहित, प्रतिभूत आस्तियों की लोक नीलामी या जनता से उसके लिए कोटेशन या निविदाएं आमंत्रित करने या पट्टे, समनुदेशन या विक्रय के माध्यम से अंतरण हेतु निजी संधि के लिए सूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय प्रतिभूत लेनदान को दे दी जाती है वहां,—

(i) प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत आस्तियों को पट्टे समनुदेशन या विक्रय के माध्यम से अंतरित नहीं किया जाएगा; और

(ii) उस दशा में, जब ऐसी रकम दिए जाने से पहले इस उपधारा के अधीन आस्तियों के पट्टे या समनुदेशन या विक्रय के माध्यम से अंतरण के लिए ऐसे प्रतिभूत लेनदार द्वारा कोई कदम उठा लिया गया है, तो ऐसी प्रतिभूत आस्तियों के पट्टे या समनुदेशन या विक्रय के माध्यम से अंतरण के लिए ऐसे प्रतिभूत लेनदार द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।]

(9) 2[दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक से अधिक प्रतिभूत लेनदारों द्वारा किसी आस्ति के वित्त पोषण या प्रतिभूत लेनदारों द्वारा किसी आस्ति के संयुक्त वित्त पोषण की दशा में] कोई प्रतिभूत लेनदार, उपधारा (4) के अधीन या उसके अनुसरण में उसे प्रदत्त किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि ऐसे अधिकार के प्रयोग के लिए, अभिलेख तारीख को बकाया रकम के कम से कम 3[साठ प्रतिशत] का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभूत लेनदार सहमत न हों और ऐसी कार्रवाई सभी प्रतिभूत लेनदारों पर बाध्यकर होगी :

परंतु किसी समापनाधीन कंपनी की दशा में, प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय से वसूल की गई रकम, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 529क के उपबंधों के अनुसार वितरित की जाएगी :

परंतु यह और कि ऐसी कंपनी की दशा में जिसका परिसमापन इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किया जा रहा है, उस कंपनी का प्रतिभूत लेनदार, जो अपनी प्रतिभूति का त्याग करने की अपेक्षा अपनी प्रतिभूति को वसूल करने और कंपनी अधिनियम, (1956 का 1) की धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन अपने ऋण को साबित करने का विकल्प लेता है, वहां वह उक्त अधिनियम की धारा 529क के उपबंधों के अनुसार समापक के पास कर्मकारों के शोध्य जमा करवाने के पश्चात् अपनी प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय आगम रख सकेगा :

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट समापक, प्रतिभूत लेनदारों को, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 529क के उपबंधों के अनुसार कर्मकारों के शोध्यों के संबंध में प्रज्ञापित करेगा और यदि कर्मकारों के ऐसे शोध्यों को अभिनिश्चित न किया जा सके तो समापक उक्त धारा के अधीन कर्मकारों के शोध्यों की प्राक्कलित रकम के संबंध में लेनदारों को प्रज्ञापित करेगा और ऐसी दशा में प्रतिभूत लेनदार, ऐसे प्राक्कलित शोध्यों की रकम समापक के पास जमा करने के पश्चात् प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय आगमों को अपने पास रख सकेगा :

परंतु यह भी यदि प्रतिभूत लेनदार, कर्मकारों के शोध्यों की प्राक्कलित रकम जमा कर देता है तो ऐसा लेनदार, कर्मकारों के शोध्यों के अतिशेष का संदाय करने के लिए दायी होगा या प्रतिभूत लेनदार द्वारा समापक के पास जमा की गई अधिक रकम, यदि कोई हो, प्राप्त करने का हकदार होगा :

परंतु यह भी कि प्रतिभूत देकर, कर्मकारों के शोध्यों के अतिशेष, यदि कोई हों, का संदाय करने के लिए समापक को एक वचनबंध देगा।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “अभिलेख तारीख” से वह तारीख अभिप्रेत है जो उस तारीख को बकाया रकम के मूल्य के 3[साठ प्रतिशत] से अन्यून का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभूत लेनदारों द्वारा तय की जाए;

(ख) “बकाया रकम” में प्रतिभूत लेनदार की लेखा बहियों के अनुसार प्रतिभूत आस्ति की बाबत प्रतिभूत लेनदार को उधार लेने वाले द्वारा संदेय मूल रकम, ब्याज और कोई अन्य शोध्य सम्मिलित हैं।

(10) जहां प्रतिभूत लेनदार के शोध्यों का प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय आगमों से पूर्णतः समाधान न हो वहां प्रतिभूत लेनदार, उधार लेने वाले से अतिशेष रकम की वसूली के लिए, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाले ऋण वसूली अधिकरण या सक्षम न्यायालय को एक आवेदन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में कर सकेगा जो विहित की जाए।

(11) इस धारा के अधीन या इसके द्वारा प्रतिभूत लेनदार को प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रतिभूत लेनदार इस अधिनियम के अधीन प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में उपधारा (4) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी उपाय को पहले किए बिना प्रत्याभूतिदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने या गिरवी रखी गई आस्तियों का विक्रय करने का हकदार होगा।

(12) इस अधिनियम के अधीन प्रतिभूत लेनदार के अधिकारों का प्रयोग, इस निमित्त प्राधिकृत उसके एक या अधिक अधिकारियों द्वारा ऐसी रीति से किया जा सकेगा जो विहित की जाए।

<sup>1</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2016 के अधिनियम सं० 31 की धारा 257 और 7वीं अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 2013 के अधिनियम सं० 1 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

(13) कोई उधार लेने वाला, उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात्, प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्हीं प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा या अन्यथा (अपने कारबार के साधारण अनुक्रम से भिन्न) अंतरण नहीं करेगा।

**14. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिभूत लेनदार की प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लेने में सहायता करना**—(1) जहां किसी प्रतिभूत आस्ति का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया जाना अपेक्षित है या यदि किसी प्रतिभूत आस्ति का, प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विक्रय या अंतरित किया जाना अपेक्षित है वहां प्रतिभूत लेनदार, ऐसी किसी प्रतिभूत आस्ति का कब्जा या नियंत्रण लेने के प्रयोजनार्थ, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, या जिला मजिस्ट्रेट, जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हैं या पाए जाते हैं, लिखित में उनका कब्जा लेने के लिए आवेदन कर सकेगा और, यथास्थिति, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, उसे ऐसा निवेदन किए जाने पर,—

(क) ऐसी आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा ले लेगा; और

(ख) ऐसी आस्ति और दस्तावेजों को प्रतिभूत लेनदार को अग्रेषित करेगा :

<sup>1</sup>[परंतु प्रतिभूत लेनदार द्वारा किए गए किसी आवेदन के साथ प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिज्ञात एक शपथपत्र संलग्न किया जाएगा जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि—

(i) आवेदन फाइल करने की तारीख को अनुदत्त वित्तीय सहायता की कुल रकम और बैंक का कुल दावा ;

(ii) उधार लेने वाले ने विभिन्न संपत्तियों पर प्रतिभूति हित सृजित किया है और बैंक या वित्तीय संस्था ऐसी संपत्तियों पर विधिमान्य और अस्तित्वशील प्रतिभूति हित धारण किए हुए है तथा बैंक या वित्तीय संस्था का दावा परिसीमा अवधि के भीतर है ;

(iii) उधार लेने वाले ने उपर्युक्त उपखंड (ii) में निर्दिष्ट संपत्तियों का ब्यौरा देते हुए विभिन्न संपत्तियों पर प्रतिभूति हित सृजित किया है ;

(iv) उधार लेने वाले ने विनिर्दिष्ट रकम के अनुदत्त कुल योग की वित्तीय सहायता का प्रतिसंदाय करने में व्यतिक्रम किया है ;

(v) वित्तीय सहायता के प्रतिसंदाय में ऐसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप उधार लेने वाले के खाते को एक गैर-निष्पादनीय आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है ;

(vi) इस बात की अभिपुष्टि करते हुए कि धारा 13 की उपधारा (2) के उपबंधों द्वारा यथा अपेक्षित साठ दिन की अवधि की सूचना की, जिसमें वित्तीय सहायता के उस संदाय की, जिसका व्यतिक्रम किया गया है, मांग की गई है, उधार लेने वाले पर तामील कर दी गई है ;

(vii) उधार लेने वाले से सूचना के उत्तर में प्राप्त आक्षेप या अभ्यावेदन पर प्रतिभूत लेनदार द्वारा विचार कर लिया गया है और ऐसे आक्षेप या अभ्यावेदन को स्वीकार न करने के कारण उधार लेने वाले को संसूचित कर दिए गए हैं ;

(viii) उधार लेने वाले ने उपर्युक्त सूचना के बावजूद वित्तीय सहायता का कोई प्रतिसंदाय नहीं किया है और इसलिए प्राधिकृत अधिकारी, मूल अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन प्रतिभूत आस्तियों को कब्जे में लेने का हकदार है ;

(ix) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया गया है :

परंतु यह और कि प्राधिकृत अधिकारी से शपथपत्र प्राप्त होने पर, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, शपथपत्र की अंतर्वस्तुओं के प्रति समाधान हो जाने के पश्चात् प्रतिभूत आस्तियों को कब्जे में लेने के प्रयोजन के लिए <sup>2</sup>[आवेदन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर] उपर्युक्त आदेश पारित करेगा :

<sup>2</sup>[परन्तु यह भी कि यदि मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, उसके नियंत्रण से परहे कहीं कारणों से तीस दिन की अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो वह उसके लिए कारण लेखबद्ध करने पश्चात् ऐसी अवधि और के भीतर, जो कुल मिलाकर साठ दिन से अधिक नहीं होगा, आदेश पारित कर सकेगा।]

परंतु यह भी कि प्रथम परंतुक में उल्लिखित शपथपत्र फाइल करने की अपेक्षा इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को, यथास्थिति, किसी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही को लागू नहीं होगी।]

<sup>1</sup>[(1क) जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को—

(i) ऐसी आस्तियों और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेने के लिए, अधिकारी ;

<sup>1</sup> 2013 के अधिनियम सं० 1 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित।



(ii) ऐसी आस्तियां और दस्तावेज प्रतिभूत लेनदार को अग्रेषित करने के लिए,

प्राधिकृत कर सकेगा।<sup>1</sup>

(2) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, ऐसे कदम उठाएगा या उठवाएगा और ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा या करवाएगा जो उसकी राज्य में आवश्यक हो।

(3) इस धारा के अनुसरण में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट<sup>2</sup> या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी] द्वारा किया गया कोई कार्य किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

**15. प्रबंध ग्रहण करने की रीति और उसका प्रभाव—**(1) जब उधार लेने वाले के कारबार का प्रबंध, यथास्थिति, धारा 9 के खंड (क) के अधीन किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी या धारा 13 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन किसी प्रतिभूत लेनदार द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो प्रतिभूत लेनदार, जहां उधार लेने वाले का मुख्य कार्यालय स्थित है, परिचालित अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किसी समाचारपत्र और उस स्थान में भारतीय भाषा में प्रकाशित समाचारपत्र में, सूचना के प्रकाशन द्वारा उतने व्यक्तियों को—

(क) ऐसी दशा में जहां उधार लेने वाला, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित कंपनी है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस उधार लेने वाले के निदेशकों के रूप में; या

(ख) किसी अन्य दशा में, उधार लेने वाले के कारबार के प्रशासक के रूप में, नियुक्त कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन पर,—

(क) किसी ऐसी दशा में, जहां उधार लेने वाला कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित कोई कंपनी है, कंपनी के निदेशक का पद धारण करने वाले सभी व्यक्तियों और किसी अन्य दशा में, उपधारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के ठीक पूर्व उधार लेने वाले के कारबार के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण की शक्ति रखने वाले किसी पद को धारण करने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने उस रीति में अपना पद रिक्त कर दिया है;

(ख) उधार लेने वाले और किसी निदेशक या प्रबंधक, जो उपधारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से ठीक पूर्व ऐसा पद धारण करते हैं, बीच प्रबंध की कोई संविदा समाप्त समझी जाएगी;

(ग) इस धारा के अधीन नियुक्त निदेशक या प्रशासक ऐसी सभी संपत्ति, चीजबस्त और अनुयोजित दावों को, जिनका कारबार के लिए उधार लेने वाला हकदार है या हकदार होना प्रतीत होता है, अपनी अभिरक्षा में या अपने नियंत्रण के अधीन लेने के लिए ऐसे सभी उपाय करेगा जो आवश्यक समझे जाएं और उधार लेने वाले के कारबार की सभी संपत्ति और चीजबस्त, सूचना के प्रकाशन की तारीख से, यथास्थिति, निदेशकों या प्रशासकों की अभिरक्षा में हुई समझी जाएगी;

(घ) इस धारा के अधीन नियुक्त निदेशक, सभी प्रयोजनों के लिए, उधार लेने वाले की कंपनी के निदेशक होंगे और इस धारा के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, ऐसे निदेशक या प्रशासक, यथास्थिति, निदेशकों या उधार लेने वाले के कारबार के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के हकदार होंगे, भले ही ऐसी शक्तियां उधार लेने वाले की कंपनी के ज्ञापन या संगम-अनुच्छेदों से या किसी भी अन्य स्रोत से व्युत्पन्न की जाती हैं।

(3) जहां किसी उधार लेने वाले के, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित कोई कंपनी है, कारबार का प्रबंध प्रतिभूत लेनदार द्वारा ग्रहण किया जाता है वहां उक्त अधिनियम या ऐसे उधार लेने वाले के ज्ञापन या संगम-अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसी कंपनी के शेयरधारकों या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति को कंपनी का निदेशक नामनिर्दिष्ट या नियुक्त करना विधिपूर्ण नहीं होगा;

(ख) ऐसी कंपनी के शेयरधारकों की किसी बैठक में पारित कोई संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह प्रतिभूत लेनदार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो;

(ग) ऐसी कंपनी के परिसमापन के लिए या उसकी बाबत किसी रिसीवर की नियुक्ति के लिए किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही, प्रतिभूत लेनदार की सहमति के बिना नहीं की जाएगी।

(4) जहां किसी उधार लेने वाले के कारबार का प्रबंध प्रतिभूत लेनदार द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है वहां प्रतिभूत लेनदार अपने ऋण की पूर्ण वसूली होने पर उधार लेने वाले के कारबार का प्रबंध उसे प्रत्यावर्तित करेगा।

<sup>1</sup> 2013 के अधिनियम सं० 1 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>1</sup>[परन्तु यदि कोई प्रतिभूत लेनदार संयुक्त रूप से अन्य प्रतिभूत लेनदारों या किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी या वित्तीय संस्था या किसी अन्य समनुदेशिनी के साथ अपने ऋण को किसी उधार देने वाली कंपनी के शेयरों में भागतः परिवर्तित कर देता है और उसके द्वारा उधार लेने वाली कंपनी में नियंत्री हित अर्जित कर लेता है, तो ऐसे प्रतिभूत लेनदार ऐसे उधार लेने वाले के कारबार के प्रबंध को प्रत्यावर्तित करने के दायी नहीं होंगे।]

**16. पद की हानि के लिए निदेशकों को कोई प्रतिकर नहीं—**(1) तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उधार लेने वाले के कारबार का कोई प्रबंध निदेशक या कोई अन्य निदेशक या कोई प्रबंधक या उसके कारबार के प्रबंध का भारसाधक कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पद की हानि के लिए या उसके द्वारा उधार लेने वाले के साथ की गई प्रबंध की किसी संविदा के समय-पूर्व समाप्ति के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात उधार लेने वाले के कारबार से ऐसे प्रतिकर से भिन्न किसी रूप में वसूलनीय धन वसूल करने के लिए किसी ऐसे प्रबंध निदेशक या किसी अन्य निदेशक या प्रबंधक या प्रबंध के भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

**17. [प्रतिभूत ऋणों के वसूल करने के उपायों के विरुद्ध आवेदन]—**(1) इस अध्याय के अधीन प्रतिभूत लेनदार या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई उपाय करने से व्यथित कोई व्यक्ति (जिसमें उधार लेने वाला भी सम्मिलित है) उस तारीख से जिसको ऐसा उपाय किया गया था, पैंतालीस दिन के भीतर इस विषय में अधिकारिता रखने वाले ऋण वसूली अधिकरण <sup>3</sup>[ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा :]

<sup>4</sup>[परन्तु उधार लेने वाले और उधार लेने वाले से भिन्न व्यक्ति द्वारा आवेदन करने के लिए भिन्न-भिन्न फीसों विहित की जा सकेंगी।]

<sup>4</sup>[**स्पष्टीकरण—**शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार द्वारा उधार लेने वाले को, उसके अभ्यावेदन या आक्षेप को स्वीकार न किए जाने के कारणों की संसूचना या उधार लेने वाले को कारणों की संसूचना के प्रक्रम पर प्रतिभूत लेनदारों की संभावित कार्रवाई ऐसे व्यक्ति को (जिसके अंतर्गत उधार लेने वाला भी है) इस उपधारा के अधीन ऋण वसूली अधिकरण में आवेदन करने का हकदार नहीं बनाएगी।]

<sup>5</sup>[(1क) उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर—

(क) वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है; या

(ख) जहां प्रतिभूत आस्ति अवस्थित है;

(ग) बैंक या वित्तीय संस्था की कोई शाखा या कोई अन्य कार्यालय ऐसा कोई खाता बनाए रखते हैं जिसमें दावा किया गया ऋण तत्समय बकाया है,

फाइल किया जाएगा।]

<sup>6</sup>[(2) ऋण वसूली अधिकरण, यह विचार करेगा कि क्या प्रतिभूति के प्रवर्तन के लिए प्रतिभूत लेनदार द्वारा किए गए धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई उपाय, इस अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप हैं।]

<sup>5</sup>[(3) यदि ऋण वसूली अधिकरण, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रतिभूत लेनदार द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किया गया कोई उपाय इस अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार नहीं है और उधार लेने वाले व्यक्ति या अन्य व्यथित व्यक्ति के लिए प्रतिभूत आस्तियों के प्रबंधन की पुनःस्थापना या प्रतिभूत आस्तियों के कब्जे का प्रत्यावर्तन अपेक्षित है, तो वह ओदश द्वारा,—

(क) प्रतिभूत लेनदार द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किए गए एक या अधिक उपायों के अवलंब को अविधिमान्य घोषित कर सकेगा; और

(ख) यथास्थिति, ऐसे किसी उधार लेने वाले व्यक्ति या अन्य व्यथित व्यक्ति को, जिसने उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया है, प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा प्रत्यावर्तित कर देगा या प्रतिभूत आस्तियों के प्रबंध को पुनः स्थापित कर सकेगा; और]

<sup>1</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>5</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>6</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) ऐसा अन्य विदेशी जारी कर सकेगा, जिसे वह उचित समझता है और जो धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिए गए किसी अवलंब के संबंध में आवश्यक समझे;]

(4) यदि, ऋण वसूली अधिकरण यह घोषणा करता है धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन किसी प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया अवलंब इस अधिनियम तथा तद्विना बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार है, तो, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूत लेनदार अपने प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट एक या अधिक उपायों का अवलंब लेने का हकदार होगा।

<sup>1</sup>[(4क) जहां,—

(i) कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन में किसी प्रतिभूत आस्ति पर किसी अभिवृत्ति या पट्टाधृति अधिकारों का दावा करता है तो ऋण वसूली अधिकरण के पास, मामले के तथ्यों और ऐसे दावों के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात्, प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए यह परीक्षा करने की अधिकारिता होगी कि क्या पट्टे या अभिवृत्ति,—

(क) का अवसान हो गया है या अवधारण हो गया है; या

(ख) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 65क के प्रतिकूल है; या

(ग) बंधक के निबंधनों के प्रतिकूल है; या

(घ) का सृजन, बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन व्यतिक्रम और मांग सूचना जारी करने के पश्चात् किया गया है; और

(ii) ऋण वसूली अधिकरण का यह समाधान हो गया है कि प्रतिभूत आस्ति में अभिवृत्ति अधिकारी या पट्टी धृति अधिकारों का दावा खंड (i) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) के अन्तर्गत आता है तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऋण वसूली अधिकरण ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उचित समझता है।]

(5) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आवेदन पर ऋण वसूली अधिकरण द्वारा यथासंभव शीघ्र कार्यवाही की जाएगी और ऐसे आवेदन की तारीख से साठ दिन के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा :

परंतु ऋण वसूली अधिकरण, समय-समय पर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उक्त अवधि को बढ़ा सकेगा, तथापि, ऋण वसूली अधिकरण में आवेदन के लंबित रहने की कुल अवधि उपधारा (1) के अधीन किए गए ऐसे आवेदन को करने की तारीख से चार मास से अधिक नहीं होगी।

(6) यदि ऋण वसूली अधिकरण द्वारा आवेदन का निपटारा उपधारा (5) में यथाविनिर्दिष्ट चार मास की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो आवेदन का कोई पक्षकार, अपील अधिकरण को ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष लंबित आवेदन को शीघ्र निपटाने का ऋण वसूली अधिकरण को निदेश देने के लिए ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, आवेदन कर सकेगा और अपील अधिकरण, ऐसे आवेदन पर ऋण वसूली अधिकरण द्वारा लंबित आवेदन को शीघ्र निपटाए जाने का आदेश कर सकेगा।

(7) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ऋण वसूली अधिकरण आवेदन का निपटारा जहां तक हो सके, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) तथा तद्विना बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार करेगा।]

**17क. [कतिपय मामलों में जिला न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन किया जाना]**— जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 अधिसूचना सं० का०आ० 1123(अ), तारीख 18 मार्च, 2020 और लद्दाख पुनर्गठन (केंद्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 अधिसूचना सं० का०आ० 3774(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2020 द्वारा परंतुक का लोप किया गया।

**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार द्वारा उधार लेने वाले को उसके अभ्यावेदन या आक्षेप को स्वीकार न किए जाने के कारणों की संसूचना या कारणों की संसूचना के प्रक्रम पर प्रतिभूत लेनदार की संभावित कार्यवाही, ऐसे व्यक्ति (जिसके अंतर्गत उधार लेने वाला भी है) को इस धारा को अधीन जिला न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन करने के लिए हकदार नहीं बनाएगी।]

**18. अपील अधिकरण को अपील**—(1) ऋण वसूली अधिकरण द्वारा <sup>3</sup>[धारा 17 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऋण वसूली अधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, <sup>2</sup>[ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा] :

<sup>1</sup>[परन्तु उधार लेने वाले या उधार लेने वाले से भिन्न व्यक्ति द्वारा अपील फाइल करने के लिए भिन्न-भिन्न फीसों विहित की जा सकेंगी :

<sup>1</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यह और कि कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक कि उधार लेने वाले ने प्रतिभूत लेनदारों द्वारा दावा किए गए या ऋण वसूली अधिकरण द्वारा अवधारित किए गए अनुसार, इनमें से जो भी कम हो, उससे शोध्य ऋण की रकम का पचास प्रतिशत अपील अधिकरण में, जमा न कर दिया हो :

परन्तु यह भी कि अपील अधिकरण, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उस रकम को दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट ऋण के पच्चीस प्रतिशत तक कम कर सकेगा ।]

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, अपील अधिकरण, यावत्संभव, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अपील का निपटारा करेगा ।

**18क. [उद्गृहीत फीस का विधिमान्यकरण]**—जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 अधिसूचना सं० का०आ० 1123(अ), तारीख 18 मार्च, 2020 और लद्दाख पुनर्गठन (केंद्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 अधिसूचना सं० का०आ० 3774(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2020 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया।

**18ख. कतिपय मामलों में उच्च न्यायालय को अपील**—जम्मू-कश्मीर राज्य में निवास करने वाला और धारा 17क के अधीन जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई उधार लेने वाला, जिला न्यायाधीश के न्यायालय के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस न्यायालय पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा :

परन्तु कोई अपील तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि उधार लेने वाले ने प्रतिभूत लेनदारों द्वारा दावा किए गए या जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा अवधारित किए गए अनुसार, इनमें से जो भी कम हो, उससे शोध्य ऋण की रकम का पचास प्रतिशत जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में जमा न कर दिया हो :

परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, रकम को पहले परन्तुक में निर्दिष्ट ऋण के पच्चीस प्रतिशत तक कम कर सकेगा ।]

<sup>2</sup>[**18ग. केवियट दाखिल करने का अधिकार**—(1) जहां धारा 17 की उपधारा (1) या धारा 17क या धारा 18 की उपधारा (1) या धारा 18ख के अधीन कोई आवेदन या अपील की जानी प्रत्याशित है या की गई है वहां, यथास्थिति, अधिकरण या जिला न्यायाधीश के न्यायालय या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के अधिकार का दावा करने वाला प्रतिभूत लेनदार या कोई व्यक्ति ऐसे आवेदन या अपील की सुनवाई पर उसकी बाबत केवियट दाखिल कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई केवियट दाखिल की गई है,—

(क) वहां ऐसा प्रतिभूत लेनदार, जिसके द्वारा केवियट दाखिल की गई है (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् केवियटकर्ता कहा गया है) उस व्यक्ति पर, जिसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है या किए जाने की प्रत्याशा है, रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, केवियट की सूचना तामील करेगा ;

(ख) वहां ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके द्वारा केवियट दाखिल की गई है (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् केवियटकर्ता कहा गया है) उस व्यक्ति पर, जिसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है या किए जाने की प्रत्याशा है, रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, केवियट की सूचना तामील करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी केवियट के दाखिल किए जाने के पश्चात्, यथास्थिति, अधिकरण या जिला न्यायाधीश के न्यायालय या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन या अपील फाइल की जाती है वहां, यथास्थिति, अधिकरण या जिला न्यायाधीश या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय आवेदक या अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए आवेदन या अपील की सूचना की केवियटकर्ता पर तामील करेगा ।

(4) जहां आवेदक या अपीलार्थी पर किसी केवियट की सूचना की तामील की गई है, वहां वह कालिकतः केवियटकर्ता को उसके द्वारा किए गए आवेदन या की गई अपील की प्रति और ऐसे कागजपत्र या दस्तावेज की, जो उस आवेदन या अपील के समर्थन में उसके द्वारा फाइल किया गया है या किया जाए, प्रतियां भी प्रेषित करेगा ।

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई केवियट दाखिल किया गया है वहां ऐसा केवियट, उस तारीख से, जिसको वह दाखिल किया गया था, नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त नहीं रहेगा, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन या अपील उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व की न गई हो ।]

<sup>3</sup>[**19. कतिपय मामलों में प्रतिकर और खर्चे प्राप्त करने के लिए उधार लेने वाले का अधिकार**—यदि ऋण वसूली अधिकरण या जिला न्यायाधीश का न्यायालय, धारा 17 या धारा 17क के अधीन किए गए आवेदन पर या धारा 18 या धारा 18क के अधीन अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय को किए गए आवेदन पर, यह अभिनिर्धारित करता है कि प्रतिभूत लेनदारों

<sup>1</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> 2013 के अधिनियम सं० 1 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>3</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

द्वारा प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा इस अधिनियम और तद्विधन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार नहीं है और [प्रतिभूत लेनदारों को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसने यथास्थिति, धारा 17 या धारा 17क के अधीन आवेदन फाइल किया है या धारा 18 या 18क के अधीन अपील फाइल की है, संबंधित उधार लेने वालों को या ऐसे अन्य व्यक्ति को] ऐसी प्रतिभूत आस्तियां वापस करने का निदेश देता है तो ऐसा उधार लेने वाला ऐसे प्रतिकर और खर्चों के संदाय के लिए हकदार होगा, जो धारा 18ख में निर्दिष्ट ऐसे अधिकरण या जिला न्यायाधीश के न्यायालय या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाए।]

#### अध्याय 4

#### केन्द्रीय रजिस्ट्री

**20. केन्द्रीय रजिस्ट्री**—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के अधीन वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन के संव्यवहार के रजिस्ट्रीकरण और प्रतिभूति हित के सृजन के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्री के नाम से ज्ञात एक रजिस्ट्री स्थापित कर सकेगी या स्थापित करा सकेगी जिसकी अपनी स्वयं की मुद्रा होगी।

(2) केन्द्रीय रजिस्ट्री का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे और उपधारा (1) में निर्दिष्ट संव्यवहारों के रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए ऐसे स्थानों पर जिन्हें केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, केन्द्रीय रजिस्ट्री के शाखा कार्यालय स्थापित किया जा सकेंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा वह राज्यक्षेत्रीय सीमा परिनिश्चित कर सकेगी जिसके भीतर केन्द्रीय रजिस्ट्री का कार्यालय अपना कार्य कर सकेगा।

(4) केन्द्रीय रजिस्ट्री से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44), पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39), मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) या प्रभारों के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा करने वाली किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में तथा उन अधिनियमों या विधियों के अधीन प्रभारों की पूर्विकता और उनकी विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करेंगे।

**20क. केन्द्रीय रजिस्ट्री में रजिस्ट्रीकरण प्रणाली का एकीकरण**—(1) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी संपत्ति पर अधिकारों के अभिलेखीकरण या ऐसी संपत्ति पर किसी प्रतिभूति हित के सृजन, उपांतरण या समाधान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रणाली संचालित करने वाले अन्य प्राधिकरणों के परामर्श से धारा 20 के अधीन स्थापित केन्द्रीय रजिस्ट्री के अभिलेखों के साथ ऐसी रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों के रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों का ऐसी रीति में एकीकरण कर सकेगी, जो विहित की जाए।]

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्रीकरण अभिलेख के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 8), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44), मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59), पेटेंट अधिनियम, 1970 (1907 का 39), डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16), या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अन्य ऐसे अभिलेख भी हैं।

(2) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय रजिस्ट्री के साथ उपधारा (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों के अभिलेखों के एकीकरण के पश्चात् अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों के एकीकरण की तारीख और ऐसी तारीख जिसको ऐसे एकीकृत अभिलेख उपलब्ध होंगे, घोषित करेगी, तथा ऐसी तारीख से ऐसी संपत्तियों पर, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, प्रतिभूति हितों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा।]

**20ख. शक्तियों का प्रत्यायोजन**—केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय रजिस्ट्री के स्थापन, प्रचालन और विनियमन के संबंध में इस अध्याय के अधीन शक्तियों और कृत्यों को रिजर्व बैंक को ऐसे निबंधनों शर्तों के अधीन प्रत्यायोजित कर सकेगी जो विहित की जाए।

**21. केन्द्रीय रजिस्ट्रार**—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और संपत्तियों पर सृजित प्रतिभूति हितों से संबंधित संव्यवहारों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को, नियुक्त कर सकेगी जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार के रूप में ज्ञात होगा।

<sup>1</sup> 2013 के अधिनियम सं० 1 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अन्य अधिकारियों को ऐसे पदाभिधानों के साथ जो वह ठीक समझे, केन्द्रीय रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन, इस अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, जिसे वह समय-समय पर निर्वहन के लिए उन्हें प्राधिकृत करे, नियुक्त कर सकेगी।

**22. प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हितों के संव्यवहारों का रजिस्ट्रार—**(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार के नाम से ज्ञात एक अभिलेख केन्द्रीय रजिस्ट्री के प्रधान कार्यालय में रखा जाएगा जिसमें निम्नलिखित से संबंधित संव्यवहारों की विशिष्टियां दर्ज होंगी :—

(क) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण ;

(ख) वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन; और

(ग) प्रतिभूति हितों का सृजन।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय रजिस्ट्रार के लिए अभिलेख को पूर्णतः या भागतः कंप्यूटर फ्लापियों, डिस्कटों में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसे सुरक्षोपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अभिलेख रखना विधिपूर्ण होगा।

(3) जहां ऐसा रजिस्ट्रार उपधारा (2) के अधीन कंप्यूटर पर, फ्लापियों, डिस्कटों, या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रूप में पूर्णतः या भागतः रखा जाता है, वहां इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार में प्रविष्टियों के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह कंप्यूटर या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गई किसी प्रविष्टि के प्रति निर्देश है।

(4) रजिस्ट्रार केन्द्रीय रजिस्ट्रार के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन रखा जाएगा।

**23. 1[(1)] प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन और प्रतिभूति हित के सृजन के संव्यवहारों का फाइल किया जाना—**(1) प्रतिभूतिकरण, आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूति हित के सृजन के प्रत्येक संव्यवहार की विशिष्टियां रजिस्ट्रार के पास ऐसी रीति में और ऐसी फीस का संदाय करने पर जो विहित की जाए, 2\*\*\*\* फाइल की जाएंगी :

3[(2) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास विभिन्न प्रकार की संपत्ति पर सृजित, विभिन्न प्रकार के प्रतिभूति हित से संबंधित संव्यवहार के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा कर सकेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा, इस धारा के अधीन विभिन्न प्रकार के प्रतिभूति हित के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप और ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर प्रभारित की जाने वाली फीस विहित कर सकेगा।]

2\* \* \* \* \*

4[परंतु 2\*\*\*\* केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूति हित के सृजन के ऐसे सभी संव्यवहारों के, जो धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की तारीख को या उसके पूर्व अस्तित्व में हैं, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण कराए जाने की अपेक्षा कर सकेगी।]

**24. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रतिभूति हित का उपांतरण—**जब कभी इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी प्रतिभूति हित के निबंधनों या शर्तों या विस्तार या प्रवर्तन को उपांतरित किया जाए, तब, यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी या प्रतिभूत लेनदार का यह कर्तव्य होगा कि वह केन्द्रीय रजिस्ट्रार को ऐसे उपांतरण की विशिष्टियां भेज दे और किसी प्रतिभूति हित के रजिस्ट्रीकरण के बारे में इस अध्याय के उपबंध ऐसे प्रतिभूति हित के ऐसे उपांतरण को लागू होंगे।

**25. प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी या प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूति हित की तुष्टि की रिपोर्ट करना—**(1) यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी या प्रतिभूत लेनदार केन्द्रीय रजिस्ट्रार को, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी या प्रतिभूत लेनदार से संबंधित किसी प्रतिभूति हित के पूर्ण रूप से संदाय या तुष्टि की सूचना देगी और ऐसे संदाय या तुष्टि की तारीख से तीस दिन के भीतर इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा करेगा।

5[(1क) उपधारा (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, केन्द्रीय रजिस्ट्रार यह आदेश देगा कि चुकाए जाने का ज्ञापन केन्द्रीय रजिस्ट्रार में दर्ज किया जाएगा।]

6[(2) यदि संबंधित उधार लेने वाला, केन्द्रीय रजिस्ट्रार को उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय या चुकाए जाने को अभिलिखित न करने की सूचना देता है तो केन्द्रीय रजिस्ट्रार, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी या प्रतिभूत लेनदारों को एक सूचना भिजवाएगा जिसमें उनसे ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट चौदह दिन से अनधिक समय के भीतर इस बाबत कारण दर्शित करने के लिए कहा जाएगा कि केन्द्रीय रजिस्ट्रार को यथासूचित संदाय या तुष्टि को अभिलिखित क्यों नहीं किया जाए।

<sup>1</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 17 द्वारा पुनःसंख्यांकित।

<sup>2</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 17 द्वारा लोप किया गया।

<sup>3</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 17 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> 2013 के अधिनियम सं० 1 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>5</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>6</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) यदि कोई कारण दर्शित नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय रजिस्ट्रार यह आदेश करेगा कि तुष्टि का ज्ञापन केन्द्रीय रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

(4) यदि कोई कारण दर्शित किया जाता है तो केन्द्रीय रजिस्ट्रार केन्द्रीय रजिस्टर में उस आशय का एक टिप्पण लेखबद्ध करेगा और उधार लेने वाले को यह संसूचित करेगा कि उसने ऐसा कर दिया है।

**26. प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित संव्यवहारों की विशिष्टियों का निरीक्षण करने का अधिकार—**(1) धारा 22 के अधीन रखे गए ऐसे संव्यवहारों के केन्द्रीय रजिस्टर में दर्ज की गई प्रतिभूतिकरण या पुनर्गठन या प्रतिभूति हित की विशिष्टियां कारबार के समय के दौरान ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाएं, किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक रूप में रखा गया केन्द्रीय रजिस्टर भी कारबार के समय के दौरान ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

**26क. रजिस्ट्रीकरण, उपांतरण और तुष्टि आदि के विषयों में केन्द्रीय, सरकार द्वारा परिशोधन—**(1) केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि—

(क) किसी प्रतिभूतिकरण, आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूति हित के किसी संव्यवहार या ऐसे संव्यवहार के उपांतरण या तुष्टि की विशिष्टियों को रजिस्ट्रार के पास फाइल करने का लोप या; मूल अधिनियम की धारा 23 या धारा 24 या धारा 25 के अनुसरण में ऐसे किसी संव्यवहार या उपांतरण के संबंध में या किसी तुष्टि या की गई अन्य प्रविष्टि के संबंध में किसी विशिष्टि का लोप या अशुद्ध कथन संयोगवश था या अनवधानता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से था या वह ऐसी प्रकृति का नहीं है जिससे लेनदारों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो; या

(ख) अन्य आधारों पर, यह अनुतोष प्रदान करने के लिए न्यायसंगत और साम्यापूर्ण है,

किसी प्रतिभूत लेनदार या प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी या हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो केन्द्रीय सरकार को न्यायोचित और समीचीन प्रतीत हों, आवेदन पर, जैसा मामले में अपेक्षित हो, यह निदेश दे सकेगी कि रजिस्ट्रीकरण या उपांतरण या तुष्टि के संव्यवहार की विशिष्टियों के फाइल किए जाने का समय बढ़ाया जाए या लोप अथवा अशुद्ध कथन में सुधार किया जाए।

(2) जहां केन्द्रीय सरकार, प्रतिभूति हित या प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन के संव्यवहार के रजिस्ट्रीकरण या उसके उपांतरण या तुष्टि के लिए कोई समय बढ़ा देती है, वहां आदेश से उस संव्यवहार के वस्तुतः रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व संबद्ध संपत्ति या वित्तीय आस्ति की बाबत अर्जित किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल नहीं पड़ेगा।]

## 2[अध्याय 4क

### प्रतिभूत लेनदारों और अन्य लेनदारों द्वारा रजिस्ट्रीकरण

**26ख. प्रतिभूत लेनदारों और अन्य लेनदारों द्वारा रजिस्ट्रीकरण—**(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा उधार लेने वाले ऐसे लेनदार द्वारा अनुदत्त किसी वित्तीय सहायता के सम्यक् प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के प्रयोजन के लिए उधार लेने वाले की किसी संपत्ति पर किसी प्रतिभूति हित का सृजन, उपांतरण या उसकी तुष्टि के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्री से संबंधित अध्याय 4 के उपबंधों को धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घघ) में यथा परिभाषित प्रतिभूत लेनदारों से भिन्न सभी लेनदारों तक विस्तारित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से, कोई लेनदार, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूत लेनदार भी है, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, केन्द्रीय रजिस्ट्री को किसी प्रतिभूति हित के सृजन, उपांतरण या तुष्टि करने वाले संव्यवहार की विशिष्टियां फाइल कर सकेगा।

(3) अपने कक्ष में सृजित संपत्तियों पर प्रतिभूति हित का सृजन, उपांतरण और तुष्टि के संव्यवहारों की विशिष्टियां फाइल करने वाला प्रतिभूत लेनदार से भिन्न कोई लेनदार इस अधिनियम के अधीन प्रतिभूतियों के प्रवर्तन संबंधी किसी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण का ऐसा प्रत्येक प्राधिकारी या अधिकारी, जिसे कर या अन्य सरकारी शोध्यों की वसूली और कर या सरकारी शोध्यों का संदाय करने के लिए दायी किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की का कोई आदेश जारी करने का कृत्य सौंपा गया है, केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास, ऐसे प्रारूप में और रीति से, जो विहित की जाए, ऐसा कुर्की आदेश, निर्धारित की विशिष्टियों और ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, कर या अन्य सरकारी शोध्यों के व्यौरों के साथ, फाइल करेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति, जिसका किसी उधार लेने वाले के विरुद्ध कोई दावा है, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी से, जो कुर्की आदेश जारी करने के लिए सशक्त है, संपत्ति की कुर्की के आदेश अभिप्राप्त कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे कुर्की आदेश की

<sup>1</sup> 2013 के अधिनियम सं० 1 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 18 द्वारा अंतःस्थापित।

विशिष्टियां, केंद्रीय रजिस्ट्री के पास ऐसे प्ररूप में और रीति से तथा ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, फाइल कर सकेगा।

**26ग. संव्यवहारों के रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव**—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी प्रतिभूत लेनदार या किसी अन्य लेनदार द्वारा प्रतिभूत हित का सृजन, उपांतरण या तुष्टि के संव्यवहारों का कोई भी रजिस्ट्रीकरण या कुर्की आदेशों का फाइल किया जाना, केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास, यथास्थिति, ऐसे प्रतिभूत हित के सृजन, उपांतरण या तुष्टि के ऐसे संव्यवहार की विशिष्टियां या कुर्की आदेश फाइल किए जाने की तारीख और समय से सार्वजनिक सूचना दिया जाना समझा जाएगा।

(2) जहां अध्याय 4 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रतिभूत लेनदार या किसी अन्य लेनदार के पक्षमें किसी संपत्ति पर प्रतिभूति हित या कुर्की आदेश रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए फाइल किया जाता है, वहां कुर्की आदेश धारण करने वाले ऐसे प्रतिभूत लेनदार या अन्य लेनदार के दावे को ऐसी संपत्ति पर सृजित किसी पश्चात्तर्फी प्रतिभूति हित पर पूर्विकता प्राप्त होगी और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् ऐसी संपत्ति का किसी विक्रय, पट्टा, समनुदेशन या अनुज्ञप्ति के द्वारा अंतरण अथवा कुर्की आदेश ऐसे दावे के अध्यक्षीन होगा :

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात उधार लेने वाले द्वारा कारबारके सामान्य अनुक्रम में किए गए संव्यवहारों को लागू नहीं होगी।

**26घ. प्रतिभूतियों के प्रवर्तन का अधिकार**—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के उपबंधों के प्रारंभ की तारीख से ही, कोई भी प्रतिभूत लेनदार अध्याय 3 के अधीन प्रतिभूतियों के प्रवर्तन के अधिकारों का तब तक प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा जब तक उधार लेने वाले द्वारा उसके पक्ष में सृजित प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ रजिस्ट्रीकृत न कर दिया गया हो।

**26ङ. प्रतिभूत लेनदारों को पूर्विकता**—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति हित के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् किसी प्रतिभूत लेनदार को, देय ऋणों का संदाय केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को संदेय सभी अन्य ऋणों और सभी राजस्वों, करों, उपकरों और अन्य रेटों पर पूर्विकता देकर किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्टर किया जाता है कि दिवाला और शोधन अक्षमता अधिनियम, 2016 (2016 का 31) के प्रारंभ पर या उसके पश्चात्, ऐसे मामलों में जहां उधार लेने वाले व्यक्ति को प्रतिभूति आस्तियों के संबंध में दिवाला या शोधन अक्षमता कार्यवाहियां लंबित हैं, वहां ऋण के संदाय में प्रतिभूत लेनदारों को दी जाने वाली पूर्विकता उस संहिता के उपबंधों के अध्यक्षीन होगी।]

## अध्याय 5

### अपराध और शास्तियां

**27. शास्तियां**—यदि कोई व्यतिक्रम—

(क) धारा 23 के अधीन किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन या प्रतिभूत लेनदारों द्वारा सृजित किसी प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूति हित के प्रत्येक संव्यवहार की विशिष्टियां फाइल करने में किया जाता है; या

(ख) धारा 24 के अधीन उस धारा में निर्दिष्ट उपांतरण की विशिष्टियां भेजने में किया जाता है; या

(ग) धारा 25 के अधीन सूचना भेजने में किया जाता है, तो प्रत्येक कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी या प्रतिभूत लेनदार और प्रतिभूत लेनदार का प्रत्येक अधिकारी जिसने व्यतिक्रम किया है, जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

<sup>1</sup>[परन्तु इस धारा के उपबंध, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा यथा संशोधित इस अध्याय और धारा 23 के उपबंधों के प्रवर्तन में आने की तारीख से लोप हुए समझे जाएंगे।]

2\* \* \* \* \*

**29. अपराध**—यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

<sup>3</sup>[**30. अपराधों का संज्ञान**—(1) कोई न्यायालय, अधिनियम की धारा 23, धारा 24 या धारा 25 के उपबंधों के अननुपालन के संबंध में धारा 27 के अधीन या धारा 28 या धारा 29 या किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, यथास्थिति, केन्द्रीय

<sup>1</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 19 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 20 द्वारा लोप किया गया।

<sup>3</sup> 2013 के अधिनियम सं० 1 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।



रजिस्ट्रार या रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त लिखित में साधारणतया या विशेषतया प्राधिकृत केन्द्रीय रजिस्ट्री के किसी अधिकारी या रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी द्वारा लिखित में किए गए किसी परिवाद पर ही संज्ञान लेगा, अन्यथा नहीं।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।]

**1[30क. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति—**(1) जहां कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी या कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसी व्यतिक्रमी कंपनी या व्यक्ति पर, एक करोड़ रुपए से अनधिक रकम या ऐसी चूक में अंतर्वलित रकम, जहां ऐसी रकम परिमेय है, की दुगुनी रकम, इसमें से जो भी अधिक हो, और जहां ऐसी चूक जारी रहती है, वहां ऐसी अतिरिक्त शास्ति, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है, एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, अधिरोपित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी व्यतिक्रमी आस्ति पुनर्गठन कंपनी या व्यक्ति पर सूचना की तामील करेगा, जिसमें ऐसी कंपनी या व्यक्ति से इस बात का कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि सूचना में विनिर्दिष्ट रकम को शास्ति के रूप में अधिरोपित क्यों नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर संदेय होगी।

(4) जहां आस्ति पुनर्गठन कंपनी उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर शास्ति का संदाय करने में असफल रहती है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आदेश द्वारा उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकरण को रद्द किए जाने से पूर्व ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) किसी व्यतिक्रमी व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसी चूक से संबंधित कोई परिवाद फाइल नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में कोई शास्ति इस धारा के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित और वसूल की गई है।

(6) जहां अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय में व्यतिक्रमी व्यक्ति के विरुद्ध किसी असफलता के संबंध में कोई परिवाद फाइल किया गया है, वहां उस व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित किए जाने की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा और धारा 30ख, धारा 30ग तथा 30घ के प्रयोजनों के लिए—

(i) “न्यायनिर्णायक प्राधिकारी” से रिजर्व बैंक का ऐसा अधिकारी या अधिकारियों की कोई समिति अभिप्रेत है, जो रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा उस हैसियत से अभिहित की जाए;

(ii) “व्यतिक्रमी व्यक्ति” से ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी या कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई भी चूक, उल्लंघन या व्यतिक्रम किया है और ऐसी कंपनी का, यथास्थिति, कोई भारसाधक व्यक्ति या ऐसा अन्य व्यक्ति, ऐसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा की गई किसी चूक या उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए धारा 33 के अधीन कार्यवाही किए जाने के दायित्वाधीन और दंडनीय होगा।

**30ख. शास्तियों के विरुद्ध अपील—**धारा 30क की उपधारा (4) के अधीन पारित आदेश से व्यथित व्यतिक्रमी व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको वह आदेश पारित किया जाता है, तीस दिन की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा :

परन्तु अपील प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे फाइल न करने का पर्याप्त हेतुक था।

**30ग. अपील प्राधिकारी—**रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड, ऐसे अधिकारी या अधिकारियों की समिति को अभिहित कर सकेगा जो अपील प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ठीक समझे।

(2) अपील प्राधिकारी को, व्यतिक्रमी व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति होगी, जो वह ठीक समझे।

(3) अपील प्राधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, धारा 30क के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के प्रवर्तन को रोक सकेगा।

(4) जहां व्यतिक्रमी व्यक्ति, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश द्वारा अधिरोपित निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां अपील प्राधिकारी अपील को खारिज कर सकेगा।

<sup>1</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 21 द्वारा अंतःस्थापित।

**30घ. शास्तियों की वसूली**—(1) धारा 30क के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति “वसूलीय राशि” के रूप में वसूल की जाएगी और वह उस तारीख से, जिसको व्यतिक्रमी व्यक्ति पर वसूलीय राशि के संदाय की मांग करने संबंधी सूचना की तामील की जाती है, तीस दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी और ऐसी अवधि के भीतर उस व्यक्ति द्वारा उसका संदाय करने में असफल रहने की दशा में रिजर्व बैंक, वसूली के प्रयोजन के लिए,—

(क) व्यतिक्रमी व्यक्ति द्वारा रिजर्व बैंक के पास चालू खाते में से, यदि कोई हो, विकलन करके या ऐसे व्यक्ति द्वारा रिजर्व बैंक की पुस्तकों में जमा रखी गई प्रतिभूतियों के, यदि कोई हों, परिसमापन द्वारा कर सकेगा;

(ख) ऐसे व्यक्ति को, जिससे कोई रकम व्यतिक्रमी व्यक्ति को शोध्य है, उस व्यक्ति की उसके द्वारा जो रकम व्यतिक्रमी व्यक्ति को संदेय है, में से ऐसी राशि की, जो वसूलीय राशि की रकम के बराबर है, कटौती करके और उसका रिजर्व बैंक को संदेय करने की अपेक्षा करते हुए, सूचना जारी कर सकेगा।

(2) उपधारा (4) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन जारी सूचना ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर, आवद्ध होगी, जिसे यह जारी की जाती है और जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंक या किसी बीमा कंपनी को जारी की जाती है, वहां किसी प्रतिकूल नियम, पद्धति या अपेक्षा के होते हुए भी, संदाय किए जाने के पूर्व उसकी किसी प्रविष्टि या पृष्ठांकन के प्रयोजन के लिए कोई पास बुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(3) ऐसी किसी रकम के संबंध में ऐसा कोई दावा, जो उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी होने की तारीख के पश्चात् उद्भूत हुआ है, सूचना में अंतर्विष्ट मांग के विरुद्ध शून्य होगा।

(4) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन सूचना भेजी जाती है, शपथ पर यह कथन करते हुए ऐसी सूचना के प्रति यह आक्षेप करता है कि मांगी गई राशि या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति शोध्य नहीं है या वह व्यतिक्रमी व्यक्ति को ओर से या उसके मद्दे कोई धनराशि धारित नहीं करता है, तो इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति से, यथास्थिति, ऐसी रकम या उसके भाग का संदाय करने की उससे अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(5) जहां यह पता चलता है कि उपधारा (4) के अधीन व्यक्ति द्वारा किया गया कथन किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या है वहां ऐसा व्यक्ति, सूचना की तारीख को व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति अपने स्वयं के दायित्व की सीमा तक या रिजर्व बैंक को व्यतिक्रमी व्यक्ति द्वारा संदेय वसूलीय राशि की सीमा तक, इनमें से जो भी कम हो, रिजर्व बैंक के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

(6) रिजर्व बैंक, किसी भी समय उपधारा (1) के अधीन जारी किसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या उसे वापस ले सकेगी या ऐसी सूचना के अनुसरण में संदाय करने के समय को बढ़ा सकेगा।

(7) रिजर्व बैंक, इस धारा के अधीन जारी सूचना के अनुपालन में उसे संदत्त किसी रकम की रसीद देगा और इस प्रकार संदाय करने वाला व्यक्ति, इस प्रकार संदत्त रकम की सीमा तक व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से पूर्णतया उन्मोचित हो जाएगा।

(8) व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति किसी दायित्व का निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति इस खंड के अधीन कोई सूचना प्राप्त होने के पश्चात्,—

(क) व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति इस प्रकार निर्वहन किए गए अपने स्वयं के दायित्व की सीमा तक; या

(ख) व्यतिक्रमी व्यक्ति द्वारा रिजर्व बैंक को संदेय वसूलीय राशि की सीमा तक,

इनमें से जो भी कम हो, रिजर्व बैंक के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

(9) जहां ऐसा व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन सूचना भेजी गई है, रिजर्व बैंक को उसके अनुसरण में संदाय करने में असफल रहता है तो उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी व्यक्ति समझा जाएगा और रकम की वसूली के लिए उसके विरुद्ध इस धारा में उपबंधित रीति में कार्रवाई या कार्यवाहियां की जा सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी।

(10) रिजर्व बैंक, उस क्षेत्र पर जहां व्यतिक्रमी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, प्रधान कार्यालय या कारबार का मुख्य स्थान या ऐसे व्यक्ति का सामान्य निवास स्थान स्थित है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय के माध्यम से वसूलीय राशि की वसूली इस प्रकार प्रवर्तित कर सकेगा, मानो रिजर्व बैंक द्वारा जारी सूचना न्यायालय की कोई डिक्री हो।

(11) इस निमित्त रिजर्व बैंक के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रधान सिविल न्यायालय को यह प्रमाणित करते हुए कि व्यतिक्रमी व्यक्ति वसूलीय राशि का संदाय करने में असफल रहा है, किए गए आवेदन के सिवाय, उपधारा 10 के अधीन वसूली प्रवर्तित नहीं की जाएगी।]

## अध्याय 6

### प्रकीर्ण

**31. कतिपय मामलों में इस अधिनियम के उपबंधों का लागू न होना**—इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :—

(क) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) या माल विक्रय अधिनियम, 1930 (1930 का 3) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन दिए गए किसी माल, धन या प्रतिभूति पर धारणाधिकार ;

(ख) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 172 के अर्थान्तर्गत जंगम संपत्ति की गिरवी ;

(ग) वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 24) की धारा 2 के खंड (1) में यथापरिभाषित कियी वायुयान में किसी प्रतिभूति का सृजन ;

(घ) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 3 के खंड (55) में यथापरिभाषित किसी जलयान में प्रतिभूति हित का सृजन ;

1\* \* \* \* \*

(च) माल विक्रय अधिनियम, 1930 (1930 का 7) की धारा 47 के अधीन असंदत विक्रेता के कोई अधिकार ;

(छ) 2[कोई संपत्तियां इस अधिनियम के अधीन वसूलनीय ऋण से विनिर्दिष्ट रूप से प्रभारित संपत्तियों को छोड़कर] जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 60 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन कुर्की या विक्रय किए जाने के दायित्वाधीन नहीं हैं ;

(ज) एक लाख रुपए से अनधिक की किसी वित्तीय आस्ति के प्रतिसंदाय के लिए कोई प्रतिभूति हित ;

(झ) कृषि भूमि में सृजन किया गया कोई प्रतिभूति हित ;

(ञ) ऐसा मामला जिसमें शोध्य रकम, मूल रकम और उस पर व्याज के बीस प्रतिशत से कम है ।

**31क. बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के किसी वर्ग या वर्गों को छूट देने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, लोकहित में, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम का कोई उपबंध,—

(क) बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के ऐसे वर्ग या वर्गों को लागू नहीं होगा ; या

(ख) बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के ऐसे वर्ग या वर्गों को ऐसे अपवादों, उपान्तरणों और अनुकूलनों सहित लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।]

4[(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, प्रारूप रूप में, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी और यदि दोनों सदन उस अधिसूचना के जारी किए जाने का अनुमोदन करने के लिए सहमत हो जाए या दोनों सदन अधिसूचना में उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह अधिसूचना, यथास्थिति, जारी नहीं की जाएगी या ऐसे उपांतरित रूप में जारी की जाएगी जिन पर दोनों सदन सहमत हों ।

(3) उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट तीस दिन की ऐसी अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदन लगातार चार दिन से अधिक के लिए सत्रावसित या स्थगित रहता है ।

(4) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना की प्रतियां, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जारी जाएंगी ।]

**32. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण**—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने से लोप की गई किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, 5[रिजर्व बैंक या केन्द्रीय रजिस्ट्री या प्रतिभूत लेनदार या उसके किन्हीं अधिकारियों] के विरुद्ध नहीं होगी ।

**33. कंपनियों द्वारा अपराध**—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय, उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए, उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

<sup>1</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 22 द्वारा लोपित ।

<sup>2</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2013 के अधिनियम सं० 1 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>4</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 23 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>5</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 24 द्वारा अंतःस्थापित ।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का कोई अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से, उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

**34. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का न होना**—किसी भी सिविल न्यायालय को, ऐसे मामले के संबंध में जिसमें ऋण वसूली अधिकरण या अपील अधिकरण को, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अवधारण करने के लिए सशक्त किया गया है, कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही की बाबत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

**35. इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना**—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट इससे असंगत किसी बात या ऐसी किसी विधि के कारण प्रभावी किसी लिखत के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

**36. परिसीमा**—कोई प्रतिभूत लेनदार, धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन सभी या कोई उपाय करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वित्तीय आस्ति के संबंध में उसका दावा परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के अधीन विहित की गई परिसीमा अवधि के भीतर नहीं किया गया।

**37. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं**—इस अधिनियम के उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियम, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त हैं और न कि उनके अल्पीकरण हैं।

**38. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 2) की धारा 2 के खंड (घ) में यथापरिभाषित इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

<sup>1</sup>[(क) धारा 2 के खंड (न) के अधीन समान प्रकृति के अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार;]

<sup>2</sup>[(कक) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 13 की उपधारा (10) के अधीन कोई आवेदन फाइल किया जा सकेगा;]

(ख) वह रीति जिसमें प्रतिभूत लेनदार के अधिकारों का धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन उसके एक या अधिक अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा ;

<sup>3</sup>[(खक) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन ऋण वसूली अधिकरण को आवेदन करने के लिए फीस ;

(खख) धारा 17 की उपधारा (6) के अधीन अपील अधिकरण को आवेदन करने का प्ररूप ;

(खग) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण को अपील करने के लिए फीस ;]

(ग) वे रक्षोपाय जिनके अधीन रहते हुए धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन अभिलेख रखे जाएंगे ;

(घ) वह रीति जिसमें प्रतिभूतिकरण के प्रत्येक संव्यवहार की विशिष्टियां धारा 23 के अधीन फाइल की जाएंगी और ऐसे संव्यवहार की विशिष्टियां फाइल करने के लिए फीस ;

<sup>1</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 25 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 25 द्वारा पुनःसंख्यांकित।

<sup>3</sup> 2004 के अधिनियम सं० 30 की धारा 18 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>1</sup>[(घक) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन विभिन्न प्रकार के प्रतिभूति हितों के रजिस्ट्रीकरण का प्ररूप और उसकी फीस;]

(ड) धारा 22 के अधीन रखे गए और धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट किए गए संव्यवहारों की विशिष्टियों का निरीक्षण करने के लिए फीस ;

(च) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन इलैक्ट्रानिक प्ररूप में रखे गए केन्द्रीय रजिस्टर का निरीक्षण करने के लिए फीस ;

<sup>1</sup>[(चक) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन संव्यवहारों की विशिष्टियां फाइल करने का प्ररूप और रीति;

(चख) धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास कुर्की आदेश फाइल करने का प्ररूप और रीति तथा तारीख;

(चग) धारा 26 की उपधारा (5) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास कुर्की आदेश की विशिष्टियां फाइल करने का प्ररूप और रीति तथा फीस;]

(छ) कोई अन्य विषय, जिसे नियमों द्वारा बनाए गए या बनाए जाने वाले उपबंधों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

**39. इस अधिनियम के कतिपय उपबंधों का केन्द्रीय रजिस्ट्री स्थापित हो जाने या स्थापित कराए जाने के पश्चात् लागू होना**—धारा 20 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) तथा धारा 21, धारा 22, धारा 23, धारा 24, धारा 25, धारा 26 और धारा 27 के उपबंध और धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्री स्थापित हो जाने या कराए जाने के पश्चात् लागू होंगे ।

**40. कठिनाई दूर करने की शक्ति**—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के यथाशीघ्र पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

**41. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन**—अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों में उसमें विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किए जाएंगे ।

**42. निरसन और व्यावृत्ति**—(1) वित्तियों आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा) अध्यादेश, 2002 (2000 का अध्यादेश सं० 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

**अनुसूची**  
(धारा 41 देखिए)

वर्ष	अधिनियम संख्यांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1956	1	कंपनी अधिनियम, 1956	धारा 4क की उपधारा (1) में, खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,—  “(vii) ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी जिसने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है।”।
1956	42	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956	धारा 2 के खंड (ज) में, उपखंड (iख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,—  “(ig) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (यछ) में यथापरिभाषित प्रतिभूति रसीदें।”।
1986	1	रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985	धारा 15 की उपधारा (1) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,—  “परन्तु यह और कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ के पश्चात् औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को कोई भी निर्देश नहीं किया जाएगा जहां उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा वित्तीय आस्तियां अर्जित की गई हों :  परन्तु यह भी कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् जहां औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के समक्ष कोई निर्देश लंबित है, वहां उस निर्देश का उपशमन हो जाएगा यदि ऐसे प्रतिभूत लेनदार के उधार लेने वाले को संवितरित वित्तीय सहायता की बकाया रकम के मूल्य में तीन चौथाई से अन्यून का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभूत लेनदारों ने उस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन अपना प्रतिभूत ऋण वसूल करने के लिए कोई उपाय किए हैं।”।